सत्यमेव जयते

खान मंत्रालय
MINISTRY OF
MINES

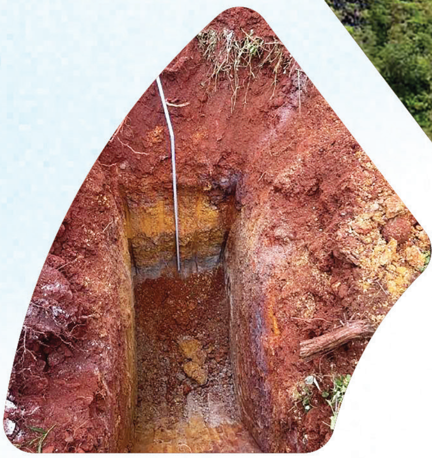

वार्षिक रिपोर्ट
2024 - 25

राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास
(खान मंत्रालय के तत्वावधान में एक स्वायत्त निकाय)

विषय-सूची

क्र. सं.	अध्याय	पृ. सं.
1	**राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास: एक सिंहावलोकन**	1
	• हमारा विज़न	1
	• उद्देश्य और कार्य	1
2	**राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास की संरचना**	2
	• शासी निकाय-शासी निकाय के कार्य	2
	• कार्यकारी समिति - कार्यकारी समिति के कार्य	4
	• परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन	6
	• तकनीकी-सह-लागत समिति- I की संरचना	6
	• तकनीकी-सह-लागत समिति- II की संरचना	7
3	**प्रमुख निर्णय**	8
	• शासी निकाय	8
	• कार्यकारी समिति	11
	• तकनीकी-सह-लागत समिति (टीसीसी)	12
4	**वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एनएमईटी कार्यकलाप- मुख्य विशेषताएं**	13
	• वित्तीय निष्पादन - एक झलक	21
	• अधिसूचित निजी गवेषण एजेंसियों (एनपीईए) को प्रोत्साहन - प्रमुख पहलें	23
5	**एनएमईटी की योजनाएं**	26
6	**वर्ष 2024-25 में प्रमुख उपलब्धियां**	29
7	**एनएमईटी द्वारा वित्त पोषित कार्यशालाएं - कुछ झलकियां**	30
8	**एनएमईटी निधि से खरीदे गए प्रमुख उपकरण**	32
9	**एनएमईटी समर्थित खनिज गवेषण पहलों के मुख्य दृश्य**	36

राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास: एक सिंहावलोकन

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने 14 अगस्त, 2015 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी) की स्थापना की। केंद्र सरकार ने खनिजों के क्षेत्रीय एवं विस्तृत गवेषण और संबंधित कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खनिज खोज नियम, 2015 बनाए। यह न्यास राज्य सरकारों के माध्यम से खनन पट्टों और पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा धारकों से अंशदान प्राप्त करता है। एनएमईटी को प्राप्त होने वाली राशि, एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत खनिजों पर भुगतान की गई रॉयल्टी के 2% के बराबर होती है। एनएमईटी अधिसूचना, एनएमईटी नियम 2015 और एनएमईटी संशोधन नियम, 2018 **https://nmet.gov.in/** पर देखे जा सकते हैं।

हमारा विज़न

भारत में खनिज क्षेत्र की वृद्धि और विकास के लिए क्षेत्रीय और विस्तृत गवेषण गतिविधियों में वृद्धि करना।

उद्देश्य और कार्य

- क्षेत्रीय और विस्तृत गवेषण कार्य करना, विशेष रूप से सामरिक और महत्वपूर्ण खनिजों को प्राथमिकता देना।
- गहराई में स्थित या छिपे हुए खनिज भंडारों की पहचान, गवेषण, निष्कर्षण, सज्जीकरण और परिशोधन के लिए तैयार किए गए विशेष अध्ययनों और परियोजनाओं को वित्तपोषित करना।
- आधुनिक प्रौद्योगिकियों के माध्यम से गहराई में स्थित खनिज भंडारों के लिए अत्यधिक जोखिमपूर्ण गवेषण करने सहित स्पष्ट भूवैज्ञानिक क्षमता (ओजीपी) वाले क्षेत्रों में ब्राउन-फील्ड क्षेत्रीय गवेषण परियोजनाओं को पूरा करने में सुविधा प्रदान करना।
- पूरे भारत में उन क्षेत्रों में विस्तृत गवेषण (जी2 और जी1) को बढ़ावा देना जहां जी3 चरण का गवेषण कार्य पूरा हो चुका है।
- ओजीपी क्षेत्रों और शेष भारत के जमीनी और हवाई भूभौतिकीय सर्वेक्षणों और भू-रासायनिक सर्वेक्षणों की सुविधा प्रदान करना।
- पृथ्वी विज्ञान में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और खनिज संभावनाओं के मूल्यांकन के लिए एक राष्ट्रीय कोर भंडार की सुविधा प्रदान करना।
- गवेषण में लगे कार्मिकों की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना।

राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास की संरचना

राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी) दो स्तरीय संरचना के तहत काम करता है, जिसमें शासी निकाय (जीबी) और कार्यकारी समिति (ईसी) शामिल हैं, ताकि खनिज गवेषण के लिए निधियों का प्रभावी अभिशासन और उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

शासी निकाय

माननीय केंद्रीय खान मंत्री की अध्यक्षता वाला शासी निकाय, एनएमईटी का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है। सचिव, खान मंत्रालय शासी निकाय के संयोजक हैं। एनएमईटी का समग्र नियंत्रण, आवधिक समीक्षा और नीति निर्देश शासी निकाय के पास निहित हैं।

शासी निकाय के कार्य

- एनएमईटी के कार्यकरण के लिए व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार करना और इसके कार्यकलापों की समीक्षा करना।
- कार्यकारी समिति की अनुशंसा पर एनएमईटी की वार्षिक योजना और वार्षिक बजट को अनुमोदन प्रदाना करना।
- शासी निकाय के सदस्य पदेन सदस्य होते हैं।
- शासी निकाय अपनी बैठकें प्रतिवर्ष आयोजित करता है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, शासी निकाय के निम्न सदस्य थे:

क्र. सं.	सदस्य
1	श्री प्रल्हाद जोशी, माननीय केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री, अध्यक्ष, *पदेन* (दिनांक 10.06.2024 तक) श्री जी. किशन रेड्डी, माननीय केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री, अध्यक्ष, *पदेन* (दिनांक 11.06.2024 से)
2	श्री हरदीप सिंह पुरी, माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, सदस्य, *पदेन*
3	डॉ. जितेंद्र सिंह, माननीय परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री, सदस्य, *पदेन*
4	श्री राव साहेब पाटील दानवे, माननीय खान राज्य मंत्री, सदस्य, *पदेन* (दिनांक 10.06.2024 तक) श्री सतीश चंद्र दुबे, माननीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री, सदस्य, *पदेन* (दिनांक 11.06.2024 से)
5	श्री भूपेन्द्र पटेल, माननीय मुख्यमंत्री एवं उद्योग एवं खान मंत्री, गुजरात सरकार, सदस्य, *पदेन* (दिनांक 14.10.2024 तक) श्री हेमंत सोरेन, माननीय मुख्यमंत्री एवं खान एवं भूविज्ञान विभाग मंत्री, झारखंड सरकार, सदस्य, *पदेन* (दिनांक 15.10.2024 से)
6	श्री पी. रामचंद्र रेड्डी, माननीय खान एवं भूविज्ञान मंत्री, आंध्र प्रदेश सरकार, सदस्य, *पदेन* (दिनांक 14.10.2024 तक) डॉ. मोहन यादव, माननीय मुख्यमंत्री एवं खनिज संसाधन विभाग के प्रभारी मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार, सदस्य, *पदेन* (दिनांक 15.10.2024 से)

7	श्री जोगेन मोहन, माननीय खान एवं खनिज विभाग मंत्री, असम सरकार, सदस्य, *पदेन* (दिनांक 14.10.2024 तक) श्री भजन लाल शर्मा, माननीय मुख्यमंत्री एवं खान एवं पेट्रोलियम मंत्री, राजस्थान सरकार, सदस्य, *पदेन* (दिनांक 15.10.2024 से)
8	श्री अचार हलप्पा बसप्पा, माननीय खान एवं भूविज्ञान मंत्री, कर्नाटक सरकार, सदस्य, *पदेन* (दिनांक 14.10.2024 तक) श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी, माननीय मुख्यमंत्री एवं खान मंत्री, तेलंगाना सरकार, सदस्य, *पदेन* (दिनांक 15.10.2024 से)
9	श्री भूपेश बघेल, माननीय मुख्यमंत्री एवं खनन मंत्री, छत्तीसगढ़ सरकार, सदस्य, *पदेन* (दिनांक 14.10.2024 तक) श्री शंभूराज विजयादेवी शिवाजीराव देसाई, माननीय खनन एवं पर्यटन प्रभारी मंत्री, महाराष्ट्र सरकार, सदस्य, *पदेन* (दिनांक 15.10.2024 से)
10	श्री प्रफुल्ल कुमार मलिक, माननीय इस्पात एवं खान मंत्री, ओडिशा सरकार, सदस्य, *पदेन* (दिनांक 14.10.2024 तक) श्री विभूति भूषण जेना, माननीय वाणिज्य एवं परिवहन, इस्पात एवं खान मंत्री, ओडिशा सरकार, सदस्य, *पदेन* (दिनांक 15.10.2024 से)
11	श्री व्ही.एल. कान्ता राव, सचिव, खान मंत्रालय संयोजक, *पदेन*
12	श्री धीरज पांडे, निदेशक, एएमडी, हैदराबाद, *विशेष आमंत्रित*
13	श्री कौस्तव नाग, एडीजी (गवेषण), डीजीएच, *विशेष आमंत्रित*
14	श्री संजय के. लाले, महानिदेशक, डीजीएच के मुख्य तकनीकी अधिकारी, *विशेष आमंत्रित*
15	श्री योगेन्द्र सिंह भांबू, निदेशक (तकनीकी), खान मंत्रालय *आमंत्रित*
16	श्री असित साहा, महानिदेशक, जीएसआई *आमंत्रित*
17	श्री इंद्र देव नारायण, सीएमडी, एमईसीएल *आमंत्रित*
18	डॉ. एस. रवि, उप महानिदेशक, राज्य इकाई: कर्नाटक, जीएसआई *आमंत्रित*
19	श्री देबकुमार भट्टाचार्य, उप महानिदेशक, आरएसएएस, बेंगलुरु *आमंत्रित*

कार्यकारी समिति

एनएमईटी की कार्यकारी समिति न्यास के कार्यकलापों की देखरेख, निधि के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने और शासी निकाय द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। एनएमईटी की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष खान मंत्रालय के सचिव हैं। एनएमईटी के प्रभारी संयुक्त सचिव न्यास के सदस्य सचिव हैं।

कार्यकारी समिति के कार्य

- एनएमईटी के कार्यकलापों का प्रबंधन, प्रशासन और पर्यवेक्षण करना।
- वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन हेतु योजना तैयार करना और उसे अंतिम रूप देना।
- टीसीसी की अनुशंसा पर राज्य सरकार/केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या किसी निजी क्षेत्र की संस्थाओं से परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होने पर परियोजनाओं की स्वीकृति और कार्यान्वयन।
- कार्यकारी समिति, समितियों या उप-समितियों का गठन कर सकती है जो कार्यकारी समिति द्वारा ऐसी समितियों या उप-समितियों को सौंपे गए या प्रत्यायोजित किए गए कार्य करेगी।
- कार्यकारी समिति परियोजनाओं के त्व रित कार्यान्वयन के लिए अधिनियम के अनुरूप अपनी प्रक्रियाएं तैयार कर सकती है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, कार्यकारी समिति के निम्न सदस्य थे:

क्र. सं.	सदस्य
1	श्री व्ही.एल. कान्ता राव, सचिव, खान मंत्रालय अध्यक्ष, *पदेन*
2	डॉ. बी. सर्वानन, निदेशक, परमाणु खनिज निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, सदस्य, *पदेन* (दिनांक 30.04.2024 तक) श्री धीरज पांडे, निदेशक, परमाणु खनिज निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, सदस्य, *पदेन* (दिनांक 1.05.2024 से)
3	श्री आनंदजी प्रसाद, सलाहकार, कोयला मंत्रालय (दिनांक 20.01.2025 तक) सदस्य, *पदेन* श्रीमती रूपिंदर बरार, अपर सचिव, कोयला मंत्रालय, सदस्य, *पदेन*/श्री आशीष कुमार, सलाहकार, कोयला मंत्रालय (दिनांक 21.01.2025 से) सदस्य, *पदेन*
4	श्री विनोद शेषन, संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय सदस्य, *पदेन*
5	श्रीमती निरुपमा कोतरू, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, खान और कोयला मंत्रालय, सदस्य, *पदेन*

6	श्री जनार्दन प्रसाद, महानिदेशक, जीएसआई (दिनांक 26.07.2024 तक) सदस्य, *पदेन* श्री असित साहा, महानिदेशक, जीएसआई (दिनांक 27.07.2024 से) सदस्य, *पदेन*
7	श्री संजय लोहिया, अपर सचिव, खान मंत्रालय एवं महानियंत्रक, आईबीएम सदस्य, *पदेन* (दिनांक 03.12.2024 तक) श्री पी.एन. शर्मा, महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, सदस्य, *पदेन* (दिनांक 04.12.2024 से)
8	श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह, प्रधान सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, राज्य प्रतिनिधि, सदस्य (दिनांक 11.11.2024 तक) श्री उमाकांत उमराव, प्रधान सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, राज्य प्रतिनिधि, सदस्य (दिनांक 12.11.2024 से)
9	डॉ. टी.आर.के. राव, महानिदेशक, डीजीएम, महाराष्ट्र सरकार, राज्य प्रतिनिधि
10	श्री संदेश नायक, निदेशक, राजस्थान सरकार, राज्य प्रतिनिधि, सदस्य
11	श्रीमती पूजा कुलकर्णी आईएएस, आयुक्त (भूविज्ञान और खनन), तमिलनाडु सरकार, राज्य प्रतिनिधि, सदस्य (दिनांक 14.06.2024 तक) श्री ई. सरवणवेलराज, आईएएस, आयुक्त (भूविज्ञान और खनन) तमिलनाडु सरकार, राज्य प्रतिनिधि, सदस्य (दिनांक 15.06.2024 से)
12	श्री संजय लोहिया, अपर सचिव, खान मंत्रालय सदस्य सचिव, पदेन (दिनांक 03.11.2024 तक) श्री विवेक कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय सदस्य सचिव, पदेन (दिनांक 04.11.2024 से)
13	श्री नरेश नौटियाल (सेवानिवृत्त), प्रमुख (बीडीएंडपी), एमईसीएल तकनीकी विशेषज्ञ
14	श्री आलोक शर्मा (सेवानिवृत्त), महाप्रबंधक एवं विभागाध्यक्ष (गवेषण), सीएमपीडीआईएल, तकनीकी विशेषज्ञ
15	डॉ. एलएस शेखावत , डीडीजी (सेवानिवृत्त), जीएसआई तकनीकी विशेषज्ञ
16	डॉ. यमुना सिंह, वैज्ञानिक-एच (सेवानिवृत्त), एएमडी तकनीकी विशेषज्ञ
17	डॉ सहेंद्र सिंह, प्रोफेसर, आईआईटी (आईएसएम), धनबाद तकनीकी विशेषज्ञ
18	डॉ. एस. रवि, उप महानिदेशक, जीएसआई एवं अध्यक्ष, टीसीसी-I, आमंत्रित
19	श्री प्रदीप सिंह, उप महानिदेशक, जीएसआई एवं अध्यक्ष, टीसीसी-II, आमंत्रित (दिनांक 09.09.2024 से)

परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन

तकनीकी-सह-लागत समिति (टीसीसी) विभिन्न गवेषण एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों की तकनीकी व्यवहार्यता और लागत प्रभावशीलता का आकलन करती है। टीसीसी में केंद्र और राज्य सरकार के संगठनों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं और यह कार्यकारी समिति को अनुमोदन के लिए उपयुक्त प्रस्तावों की अनुशंसा करती है।

वर्ष के दौरान, टीसीसी-II नामक दूसरी तकनीकी सह लागत समिति का गठन किया गया। कार्यालय ज्ञापन 6/4/2015, एनएमईटी/218, दिनांक 18 सितंबर 2023 द्वारा गठित एनएमईटी की मौजूदा तकनीकी सह लागत समिति का नाम बदलकर टीसीसी-I कर दिया गया है। टीसीसी-I और टीसीसी-II का अधिकार क्षेत्र इस प्रकार है:

क्र. सं.	राज्यों और एजेंसियों के नाम
टीसीसी-I	तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, गोवा, सभी केंद्रीय एजेंसियों की खरीद
टीसीसी-II	राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, सभी पूर्वोत्तर राज्य

तकनीकी-सह-लागत समिति- I की संरचना

क्र. सं.	सदस्य
1	डॉ. एस. रवि, उप महानिदेशक, जीएसआई एवं अध्यक्ष, टीसीसी-I
2	श्री आई. आर. किरमानी, अपर महानिदेशक (सेवानिवृत्त), जीएसआई
3	श्री हेमराज सूर्यवंशी, अपर महानिदेशक (सेवानिवृत्त), जीएसआई
4	श्री के. कोटेश्वर राव, उप महानिदेशक (सेवानिवृत्त), जीएसआई
5	श्री एस. के. अधिकारी, मुख्य खनन भूविज्ञानी, आईबीएम, नागपुर
6	श्री एस. के. कुलश्रेष्ठ, उप महानिदेशक, जीएसआई
7	डॉ. ई. वी. एस. एस. के. बाबू, वैज्ञानिक-एच, सीएसआईआर-एनजीआरआई, हैदराबाद
8	श्री के. एल. मुंद्रा, अपर निदेशक, परमाणु खनिज निदेशालय
9	श्री ए. आर. सेनगुप्ता, निदेशक (आईएफडी), खान मंत्रालय (31.07.2024 तक) श्री आलोक कुमार, उप सचिव (आईएफडी), खान मंत्रालय (01.08.2024 से)
10	श्री विवेक कुमार शर्मा, निदेशक एवं प्रभारी एनएमईटी, खान मंत्रालय (21.04.2024 तक) श्री मनीष कुमार, उप सचिव एवं एनएमईटी के प्रभारी, खान मंत्रालय (28.05.2024 तक) श्रीमती गीतिका शर्मा, उप सचिव एवं एनएमईटी प्रभारी, खान मंत्रालय (29.05.2024 से)
11	श्री पी. के. महाराणा, महाप्रबंधक (वित्त), नालको, भुवनेश्वर
12	श्री रवि कुमार गुप्ता, कार्यकारी निदेशक (वित्त), एचसीएल, कोलकाता
13	श्रीमती वंदना, लागत लेखा अधिकारी, आरएसएएस, बैंगलोर, जीएसआई
14	श्री सी. पार्थसारथी, निदेशक, जीएसआई (सदस्य सचिव)

तकनीकी-सह-लागत समिति- II की संरचना

क्र. सं.	सदस्य
1	श्री प्रदीप सिंह, उप महानिदेशक, जीएसआई एवं अध्यक्ष, टीसीसी-II
2	श्री बी. एस. जोधा , उप महानिदेशक (सेवानिवृत्त), जीएसआई
3	श्री एम. के. पटेल, उप महानिदेशक (सेवानिवृत्त), जीएसआई
4	श्री डी. एस. जीरे , निदेशक, जीएसआई
5	श्री दिलीप कानूंगो, मुख्य अयस्क प्रसाधन अधिकारी, आईबीएम
6	श्री टी. एस. सुनील कुमार, अपर निदेशक (सेवानिवृत्त), एएमडी
7	डॉ. मृणाल कांति मुखर्जी, एसोसिएट प्रोफेसर, आईआईटी - आईएसएम धनबाद
8	श्री आलोक कुमार, उप सचिव (आईएफडी), खान मंत्रालय
9	श्रीमती गीतिका शर्मा, उप सचिव एवं एनएमईटी प्रभारी, खान मंत्रालय
10	श्री पी. के. महाराणा, महाप्रबंधक (वित्त), नालको, भुवनेश्वर
11	श्री रवि कुमार गुप्ता, कार्यकारी निदेशक (वित्त), एचसीएल, कोलकाता
12	श्री सुनील कुमार वशिष्ठ, महाप्रबंधक (सेवानिवृत), एचजेडएल
13	श्री अनूप कुमार, सीएओ, जीएसआई, सीएचक्यू, कोलकाता
14	श्री संजय सिंह, निदेशक, जीएसआई (सदस्य सचिव)

शासी निकाय के प्रमुख निर्णय

दिनांक 12.08.2024 को आयोजित शासी निकाय की छठी बैठक

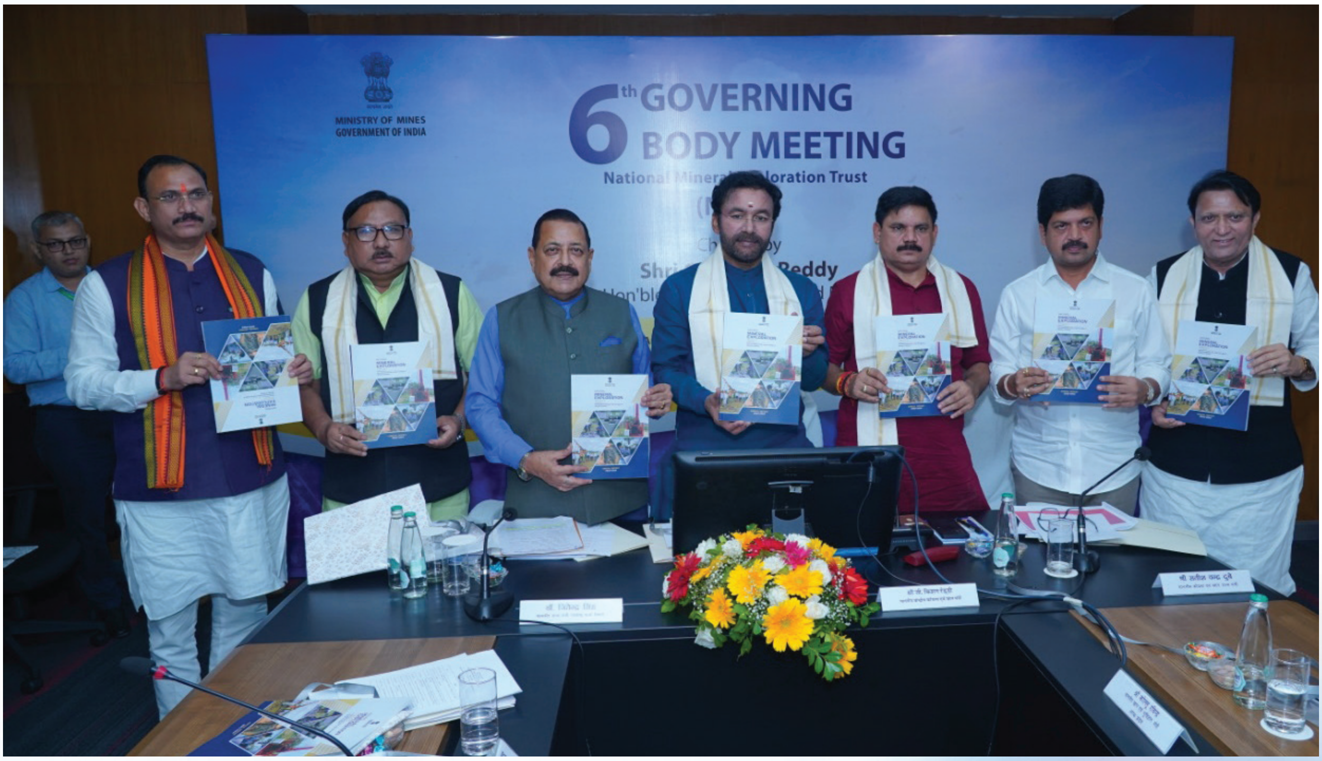

एनएमईटी की वित्त वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट का विमोचन

शासी निकाय की छठी बैठक 12 अगस्त, 2024 को आयोजित की गई। बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:

- अधिसूचित निजी गवेषण एजेंसियों (एनपीईए) की नियुक्ति की योजना में संशोधनों की पुष्टि की गई तथा तत्पश्चात् एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची के भाग ख में उल्लिखित खनिजों के अलावा सभी प्रमुख खनिजों के लिए परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई।
- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक बजट का अनुमोदन किया गया और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एनएमईटी की वार्षिक रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष और शासी निकाय के सदस्यों द्वारा जारी की गई।
- शासी निकाय को बताया गया कि खान मंत्रालय "खनन, खनिज प्रसंस्करण, धातुकर्म और पुनर्चक्रण क्षेत्र में स्टार्ट-अप्स और एमएसएमई में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने (एस एंड टी-प्रिज्म)" योजना के तहत स्टार्ट-अप्स और एमएसएमई में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। मंत्रालय के इतिहास में पहली बार, स्टार्ट-अप्स और एमएसएमई को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान एनएमईटी द्वारा वित्त पोषित किया गया। इनमें से 11 परियोजनाओं के लिए एनएमईटी से ₹12.46 करोड़ के वित्त पोषण के प्रस्ताव की पुष्टि की गई।
- देश में गौण खनिजों के गवेषण को और अधिक गति प्रदान करने तथा सभी राज्य सरकारों को राज्य खनिज खोज न्यास (एसएमईटी) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, शासी निकाय ने चालू और अगले दो वित्त वर्षों में राज्य खनिज खोज न्यास में वार्षिक संग्रह के 10% की सीमा तक राज्य सरकारों को समान अनुदान प्रदान करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
- महत्वपूर्ण, सामरिक और गहराई मे छिपे खनिजों के गवेषण के लिए गवेषण अनुज्ञप्ति धारकों के लिए ₹20 करोड़ रुपये तक के गवेषण व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति की योजना की पुष्टी की गई।
- एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची के भाग 'डी' और अनुसूची VII में निर्दिष्ट खनिजों के गवेषण के लिए नीलामी के माध्यम से दिए गए समग्र अनुज्ञप्ति धारकों के लिए ₹8 करोड़ तक के गवेषण व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति के लिए संशोधित योजना को मंजूरी दी गई।
- गवेषण अनुज्ञप्तियों की नीलामी के लिए राज्य सरकारों को ₹20 लाख का प्रोत्साहन देने की योजना की पुष्टि की गई।
- देश में गवेषण को त्वरित करने के लिए, एमईसीएल को उच्च-स्तरीय उन्नत उपकरणों जैसे एलआईबीएस के साथ हाइपर स्पेक्ट्रल कोर स्कैनर, एक्सआरएफ के साथ हाइपर स्पेक्ट्रल कोर स्कैनर, गामा रे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और डब्ल्यूडी-एक्सआरएफ की खरीद के लिए ₹32.45 करोड़ की धनराशि से वित्त पोषण सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

शासी निकाय के अध्यक्ष और सदस्यों की टिप्पणियां

- माननीय केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री तथा शासी निकाय के अध्यक्ष ने आत्मनिर्भर भारत के लिए खनन क्षेत्र को मजबूत करने हेतु भारत के खनिज संसाधनों के समुचित उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने राज्य सरकारों से सहकारी संघवाद की भावना से सहयोग करने का आग्रह किया और एनएमईटी को गवेषण में जागरूकता के लिए कार्यशालाएँ आयोजित करने की सलाह दी। माननीय केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य में निजी एजेंसियों और विश्वविद्यालय के छात्रों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और खनिज गवेषण को प्रोत्साहित करने हेतु विचार-मंथन सत्रों के लिए प्रत्येक राज्य में जीएसआई कार्यालय में एक इकाई खोलने का सुझाव दिया।
- माननीय केंद्रीय परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री ने वित्त वर्ष 2023-24 में एनएमईटी द्वारा ₹300 करोड़ के रिकॉर्ड व्यय की प्रशंसा की और 2024 के बजट में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के शुभारंभ की सराहना की। उन्होंने खनिज गवेषण में स्टार्ट-अप्स को शामिल करने और जम्मू-कश्मीर में लिथियम एवं नीलम गवेषण की प्रगति में तीव्रता लाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने जीएसआई के भू-स्थानिक डेटा की भी सराहना की और इसके पूर्ण उपयोग का आग्रह किया।
- सचिव ने बताया कि नीलम ब्लॉक नीलामी के लिए तैयार है और केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के केन्द्रल शासित प्रशासन के अनुरोध पर इसकी नीलामी कर सकती है। उन्होंने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने खान मंत्रालय से चूना पत्थर ब्लॉक (limestone block) की नीलामी करने का अनुरोध किया है।
- माननीय केंद्रीय खान राज्य मंत्री ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से खनिज गवेषण को पुनर्परिभाषित करने, निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने और वित्तीय सहायता प्रदान करने में एनएमईटी की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण खनिज मिशन देश में महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन को बढ़ाएगा और इन खनिजों के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने खनिज गवेषण में नवाचार और ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देने के लिए एजेंसियों के बीच सहयोग का आग्रह किया।
- आंध्र प्रदेश के माननीय खान और भूविज्ञान मंत्री ने राज्य के समृद्ध खनिज संसाधनों, विशेष रूप से महत्वपूर्ण खनिजों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने राज्य में महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान के लिए वैश्विक निविदाएं आमंत्रित की हैं और वैश्विक निविदाएं तैयार करने के लिए जीएसआई, आईबीएम और एनएमईटी से सहयोग मांगा है। उन्होंने पॉलीमेटेलिक नोड्यूल जैसे समुद्र तल के खनिजों की खोज में भी रुचि व्यक्त की और तटीय राज्यों के हितों की रक्षा और तट के किनारे धातुकर्म शोधन सुविधाएं स्थापित करने के लिए अपतटीय खनन नियमों में संशोधन का आह्वान किया।
- असम के माननीय खान और खनिज विभाग मंत्री ने खनिज गवेषण परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एनएमईटी की सराहना की और असम राज्य में तीन परियोजनाओं के पूरा होने और चार नई परियोजनाओं के अनुमोदन का उल्लेख किया। उन्होंने तेल भंडारों के अध्ययन और महत्वपूर्ण खनिजों का पता लगाने पर ज़ोर दिया।
- छत्तीसगढ़ के माननीय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कोरिया जिले के सोनभद्र क्षेत्र में संभावित हीरा खनन के लिए किम्बरलाइट पाइप की खोज का उल्लेख किया। उन्होंने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में एसओसी दर को वर्तमान 1.25 गुना से बढ़ाकर 3.35 गुना करने का अनुरोध किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ में भारत की पहली लिथियम खदान की नीलामी की भी सराहना की और खनिज गवेषण में उन्नत तकनीक और स्टार्ट-अप की भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया।
- गुजरात के माननीय उद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, कुटीर, खादी एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री ने एक विशेष प्रयोगशाला की योजना की घोषणा की और एनएमईटी को प्रस्तुत किए गए पांच नए प्रस्तावों की जानकारी दी। उन्होंने अगले पांच वर्षों में आठ खनिजों की गवेषण परियोजनाओं की रूपरेखा भी प्रस्तुत की।

कार्यकारी समिति के प्रमुख निर्णय

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, कार्यकारी समिति की 07 बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें कार्यकारी समिति ने ₹739.22 करोड़ की लागत वाली 162 परियोजनाओं का अनुमोदन किया। इनमें खनिज गवेषण की 128 परियोजनाएं, मशीनरी/ उपकरण/ सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए वित्तीय सहायता की 13 परियोजनाएं और खान मंत्रालय की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रिज्म योजना के अंतर्गत 21 परियोजनाएं शामिल हैं। कार्यकारी समिति द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:

- **ओजीपी ब्लॉक 13, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 से सटे ब्लॉकों में बहु-संवेदी वायु-भूभौतिकीय सर्वेक्षण का अनुमोदन**

  ओजीपी ब्लॉक संख्या 13, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 से सटे ब्लॉकों में ₹196.93 करोड़ की लागत से बहु-संवेदी वायु-भूभौतिकीय सर्वेक्षण का अनुमोदन किया गया। इन सर्वेक्षणों का उद्देश्य उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले चुंबकीय और स्पेक्ट्रोमेट्रिक डेटा एकत्र करना, उन्हें मौजूदा भूवैज्ञानिक, भू-रासायनिक, भू -भूभौतिकीय और उपग्रह डेटा के साथ एकीकृत करना और विस्तृत अनुवर्ती जाँच और गवेषण के लिए उच्च संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान करना है।

- **उच्च स्तरीय उपकरण/मशीनरी/सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता**

  ₹201.98 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से, जीएसआई द्वारा इलेक्ट्रॉन प्रोब माइक्रो एनालाइज़र, डिजिटल कोर लॉगर जैसे उच्च-स्तरीय उपकरणों, आईबीएम और राज्य डीजीएम/डीएमजी द्वारा खनिज लाभकारीकरण हेतु उन्नत उपकरणों की खरीद का अनुमोदन किया गया। ये उपकरण खनिजों और ठोस पदार्थों के रासायनिक विश्लेषण और तात्विक मानचित्रण में तीव्रता लाएंगे।

- **उपकरण/मशीनरी/सॉफ्टवेयर की खरीद की निगरानी के लिए राज्यवार समितियों का गठन**

  जिन राज्यों को उपकरण/मशीनरी/सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, उनके लिए खरीद की स्थिति और खरीद के बाद उपयोग की निगरानी हेतु जीएसआई के एक निदेशक स्तर के अधिकारी और विभिन्न राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों/आईआईटी/एनआईटी के एक संकाय सदस्य वाली समितियां गठित की गईं। इन समितियों ने विभिन्न राज्यों का दौरा किया और खरीद की समीक्षा की। उन्होंने खरीद में आने वाली समस्याओं का सामना कर रहे राज्यों को आवश्यक सहायता भी प्रदान की।

- **आरएसएएस, बेंगलुरु में डेटा प्रोसेसिंग, इंटरप्रिटेशन और इंटीग्रेशन सेंटर (एआई सेंटर) की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता**

  जीएस आई बेंगलुरु में ₹4.07 करोड़ की लागत से डेटा प्रोसेसिंग, इंटरप्रिटेशन और इंटीग्रेशन सेंटर (डीपीआईआईसी) के चरण-1 के प्रस्ताव को 23.09.2024 को अनुमोदित किया गया।

  यह केंद्र खनिज प्रणाली प्रोटोकॉल और उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल के साथ-साथ भू-स्थानिक डेटा संग्रह विकसित करके खनिज खोज में सुधार करेगा। एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)-आधारित खोज इंजन और कुशल कार्यबल डेटा विश्लेषण में सहायता करेंगे। निवेश आकर्षित करने के लिए गवेषण परिणामों और रिपोर्टों का व्यावसायिक उपयोग किया जाएगा। पूर्वानुमानित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)/मशीन लर्निंग (एमएल)/तकनीकी विकास (डीएल) मॉडल छिपे हुए खनिज भंडारों की खोज की दक्षता बढ़ाएंगे और लागत एवं समय को अनुकूलित करने के लिए सहयोग को बढ़ावा देंगे।

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (डीआईसी) को 72 महीनों (कार्यान्वयन के लिए 24 महीने और संचालन एवं रखरखाव के लिए 48 महीने) के भीतर डीपीआईआईसी की स्थापना हेतु परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के रूप में दिनांक 27.9.2024 को नियुक्त किया गया है। सीपीपी पोर्टल पर एक ईओआई (रुचि की अभिव्यक्ति) रखी गई है, जिसमें बोली-पूर्व बैठकें आयोजित की गई हैं और संबंधित अद्यतन (परिशिष्ट/शुद्धिपत्र) पोस्ट किए गए हैं। ईओआई प्रस्तुतियां अप्रैल 2025 तक की जानी हैं, जिसके बाद डीपीआर तैयार करना, निविदाएं और कार्यान्वयन किया जाएगा।

एक बार स्थापित हो जाने पर, केंद्र सभी उपलब्ध आधारभूत भूविज्ञान डेटाबेस को संसाधित, एकीकृत और व्याख्यायित करेगा, ताकि आगे के गवेषण के लिए अधिकतम संख्या में गवेषण ब्लॉकों की पहचान की जा सके।

- **अनुसंधान और विकास कार्यकलापों को बढ़ावा देना**

  खनिज क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए खान मंत्रालय की एसएंडटी प्रिज्म योजना के अंतर्गत ₹27.24 करोड़ की 21 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया है।

- **भूभौतिकीय अध्ययनों द्वारा कोयला सीमों के परिसीमन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का निर्माण**

  कोयला सीमों के परिसीमन हेतु भूभौतिकीय अध्ययन करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया ताकि कोयला गवेषण की समय-सीमा कम की जा सके और गवेषण को त्वरित किया जा सके। समिति ने दिनांक 11.03.2025 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

- **एनजीडीआर पोर्टल में परियोजना डेटा अपलोड करना**

  एनएमईटी ने यह सुनिश्चित किया है कि एनएमईटी द्वारा वित्तपोषित पूर्ण परियोजनाओं की सभी भूवैज्ञानिक रिपोर्टें और संबंधित डेटा, जैसे बाउंड्री शेप फ़ाइलें, मानचित्र के शेप फ़ाइलें, विश्लेषणात्मक डेटा, ड्रिल कोर डेटा आदि एनजीडीआर पोर्टल पर अपलोड किया जाता है ताकि सभी हितधारकों द्वारा गवेषण डेटा तक आसान पहुंच हो सकें । इसके अलावा, गवेषण एजेंसियों को अंतिम भुगतान जारी करने को एनजीडीआर पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड करने के साथ जोड़ा गया है।

  सोने, आधार धातुओं, अन्य कीमती खनिजों, सामरिक/महत्वपूर्ण खनिजों और उर्वरक खनिजों के लिए ग्रीनफील्ड क्षेत्रों में जी4 मदों के लिए परियोजना की स्वीकृत लागत का 25% प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु मौजूदा एनएमईटी योजना के तहत, 04 खनिज गवेषण ब्लॉकों को जांच के जी4 से जी3 चरण में अपग्रेड करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में एमईसीएल को ₹0.81 करोड़ की राशि मंजूर की गई थी।

तकनीकी-सह-लागत समिति (टीसीसी)

टीसीसी-I (64 वीं से 75 वीं) और टीसीसी-II (पहली से सातवीं) की उन्नीस बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें लगभग 146 परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गया और एनएमईटी वित्तपोषण हेतु अनुशंसित की गई तथा 382 चालू परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने एनपीईए द्वारा गवेषण हेतु एनएमईटी को सात क्षेत्रीय खनिज लक्ष्यीकरण (आरएमटी) परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। इनकी टीसीसी- । और टीसीसी-II समिति के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से समीक्षा की गई और उनकी अनुशंसा के आधार पर, एनपीईए को सात आरएमटी ब्लॉक आवंटित किए गए।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एनएमईटी कार्यकलाप-मुख्य विशेषताएं

जैसा कि एमएमडीआर अधिनियम की धारा 9ग की उपधारा (4) के तहत निर्धारित किया गया है, खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा धारक को अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अनुसार राज्य सरकारों को भुगतान की गई रॉयल्टी के 2% के बराबर एनएमईटी अंशदान का भुगतान करना होगा।

निधि अर्जन, अनुमोदित परियोजनाएं, उनकी स्वीकृत लागत और व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष 2015-16 से एनएमईटी प्राप्तियां, बजट आवंटन, स्वीकृत राशि और व्यय

क्र. सं.	वित्त वर्ष	एनएमईटी प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	बजट आवंटन (₹ करोड़ में)	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)	व्यय (₹ करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	2015-16	134	00	00	00	00
2	2016-17	509	00	57	248	00
3	2017-18	557	100	25	155	80
4	2018-19	247	150	44	126	88
5	2019-20	665	110	20	56	68
6	2020-21	621	90	14	166	83
7	2021-22	886	125	32	571	125
8	2022-23	935	160	98	357	553*
9	2023-24	951	297	88	522	723*
10	2024-25	1001	400	162	739	1114*
	कुल	**6506**	**1432**	**540**	**2939**	**2834**

* वित्त वर्ष 2022-23 से, व्यय में कोयला और लिग्नाइट के गवेषण की केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत कोयला मंत्रालय द्वारा उपयोग की गई राशि शामिल है।

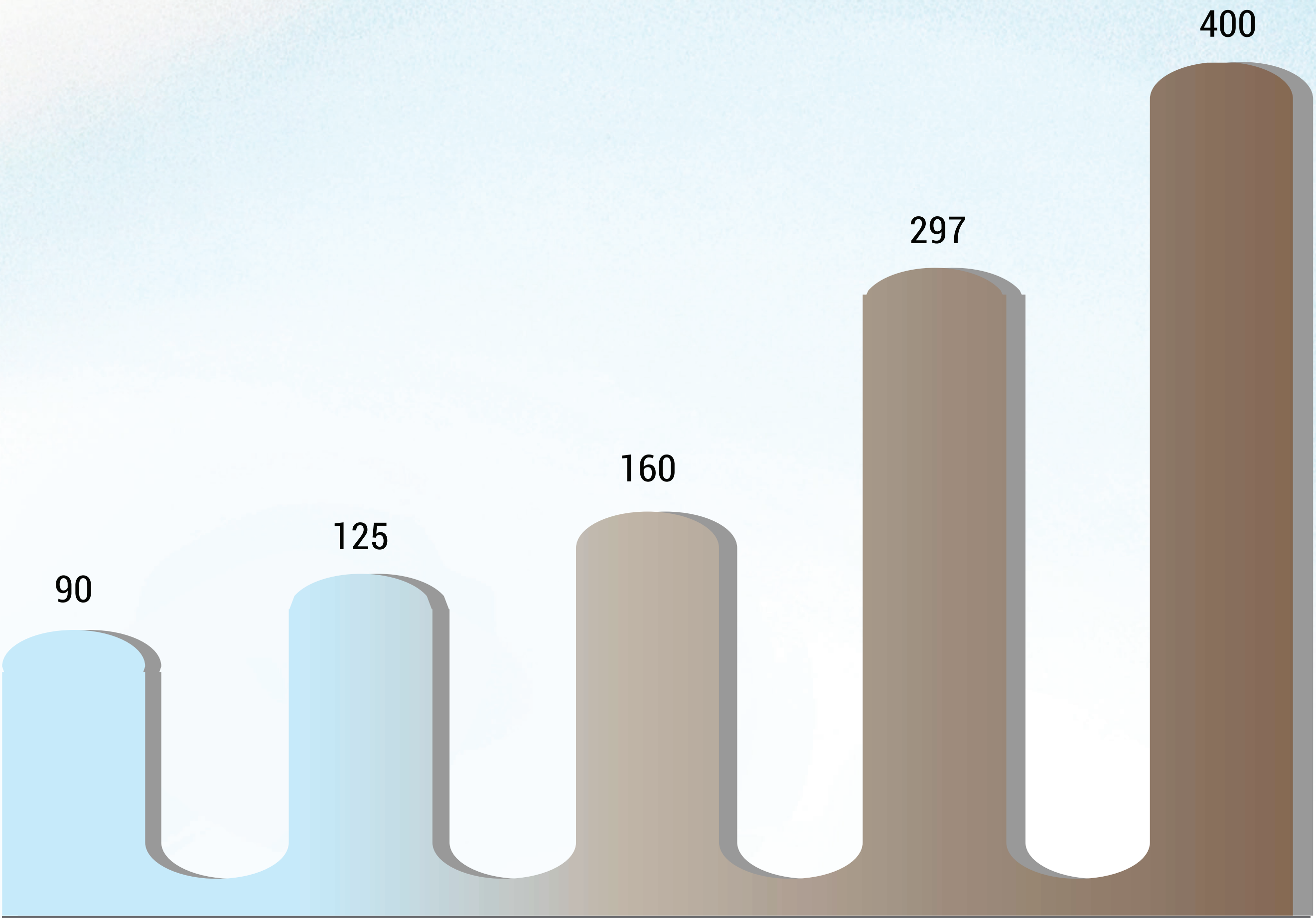

वित्त वर्ष 2020-21 से वर्ष-वार बजट आवंटन करोड़ में

पिछले पांच वर्षों (वर्ष 2020-21 से 2024-25) का एनएमईटी व्यय विवरण:

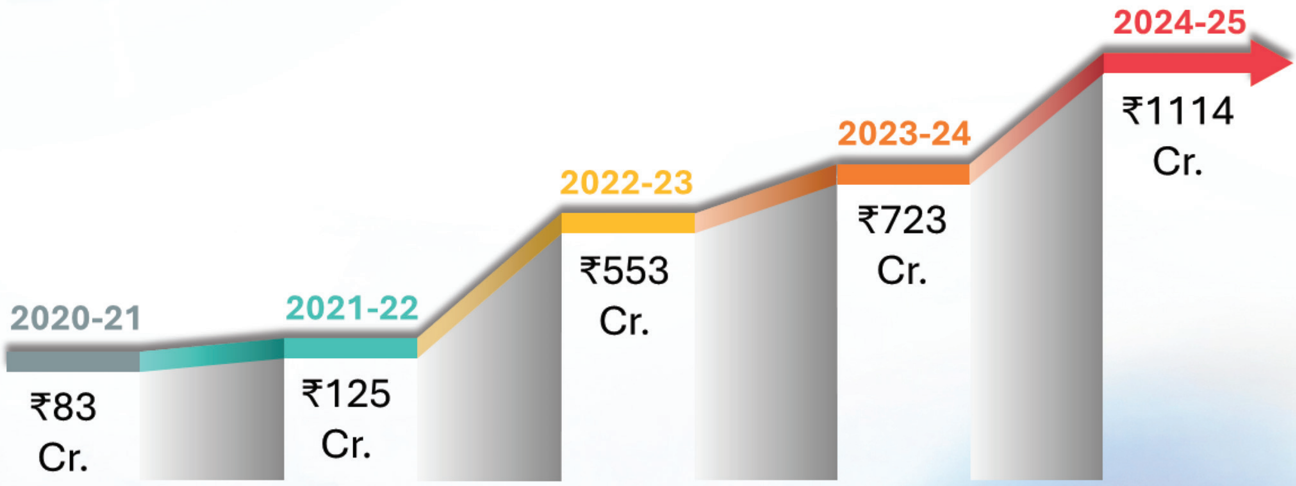

वित्त वर्ष 2020-21 से वर्ष-वार एनएमईटी व्यय

एनएमईटी स्वीकृत परियोजनाएं – श्रेणीवार

क्र. सं.	वर्ग	वित्त वर्ष 2024-25		31st मार्च, 2025 तक संचयी विवरण		पूर्ण की गई परियोजनाओं की संख्या (दिनांक 31.3.2025 तक)
		स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	कुल
1	आधारभूत सर्वेक्षण	-	197	23	1262	8
2	खनिज गवेषण परियोजनाएं	128	313	445	1203	244
3	मशीनरी/ उपकरण /सॉफ्टवेयर आदि की खरीद के लिए वित्तीय सहायता।	13	202	50	445	09
4	एस एंड टी प्रिज्म	21	27	22	28	0
कुल		**162**	**739**	**540**	**2938**	**261**

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान स्वीकृत खरीद परियोजनाओं का राज्य-वार वितरण

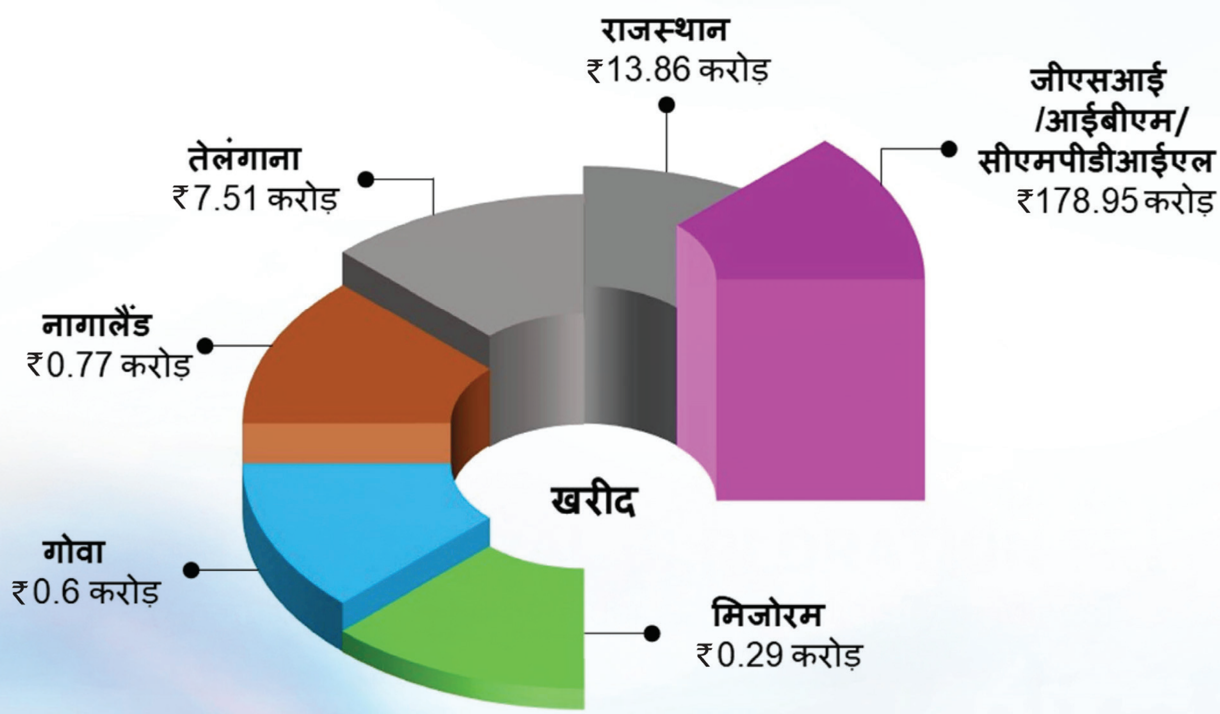

एनएमईटी द्वारा वित्त पोषित खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी हुई

क्र. सं.	राज्य	माल	नीलाम किए गए ब्लॉकों की संख्या (वित्त वर्ष 2024-25)	नीलाम किए गए ब्लॉकों की संख्या (आरंभ से 31.03.2025 तक)	भंडार (मीट्रिक टन में)
1	ओडिशा	लोहा, मैंगनीज और ग्रेफाइट	-	5	238.82
2	मध्य प्रदेश	चूना पत्थर, कोयला	6	8	928.51
3	राजस्थान	चूना पत्थर	-	2	321.55
4	झारखंड	कोयला	-	1	200
5	कर्नाटक	चूना पत्थर और लोहा	1	4	1321.82
6	उत्तर प्रदेश	फॉस्फोराइट	1	2	35.97
7	छत्तीसगढ़	चूना पत्थर, बॉक्साइट, कोयला	7	8	802.44
8	महाराष्ट्र	मैंगनीज	-	2	0.28
9	तेलंगाना	चूना पत्थर	2	2	152.07
कुल			**17**	**34**	**4001.46**

राज्यों को नीलामी प्रोत्साहन जारी किया गया

क्र. सं.	राज्य	ब्लॉक प्रोत्साहन (₹ करोड़ में)
1	मध्य प्रदेश	5.00
2	राजस्थान	8.00
3	छत्तीसगढ़	0.40
4	महाराष्ट्र	0.80
5	कर्नाटक	0.20
6	आंध्र प्रदेश	0.40
7	गुजरात	1.40
8	गोवा	0.60
9	असम	1.00
10	तेलंगाना	0.40
11	बिहार	0.20
कुल		**18.40**

वित्त वर्ष 2024-25 में स्वीकृत खनिज गवेषण परियोजनाएं - एक नज़र में

वर्ष 2024-25 में ईसी द्वारा स्वीकृत खनिज गवेषण परियोजनाओं का खनिज-वार और एजेंसी-वार वितरण नीचे सारणीबद्ध है:

गवेषण परियोजनाएं (एजेंसी वार)

		वित्त वर्ष 2024-25			मार्च 2025 तक संचयी विवरण		
क्र. सं.	एजेंसी	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	किया हुआ व्यय (₹ करोड़ में)	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	कुल व्यय (₹ करोड़ में)
क	एनईए*						
1	एमईसीएल	54	165	68	225	760	481
2	सीएमपीडीआईएल	2	3	1	29	109	51
3	केआईओसीएल	2	5	2	13	28	16
4	राज्य डीजीएम/ डीएमजी/राज्य पीएसयू आदि।	24	50	20	106	184	78
ख	एनपीईए**	46	90	14	72	122	30
		128	**313**	**105**	**445**	**1203**	**656**

** एनईए: अधिसूचित गवेषण एजेंसियां*

*** एनपीईए: अधिसूचित निजी गवेषण एजेंसियां*

पिछले 3 वर्षों में एनपीईए को स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या

एनपीईए की वर्षवार स्वीकृत परियोजनाएँ

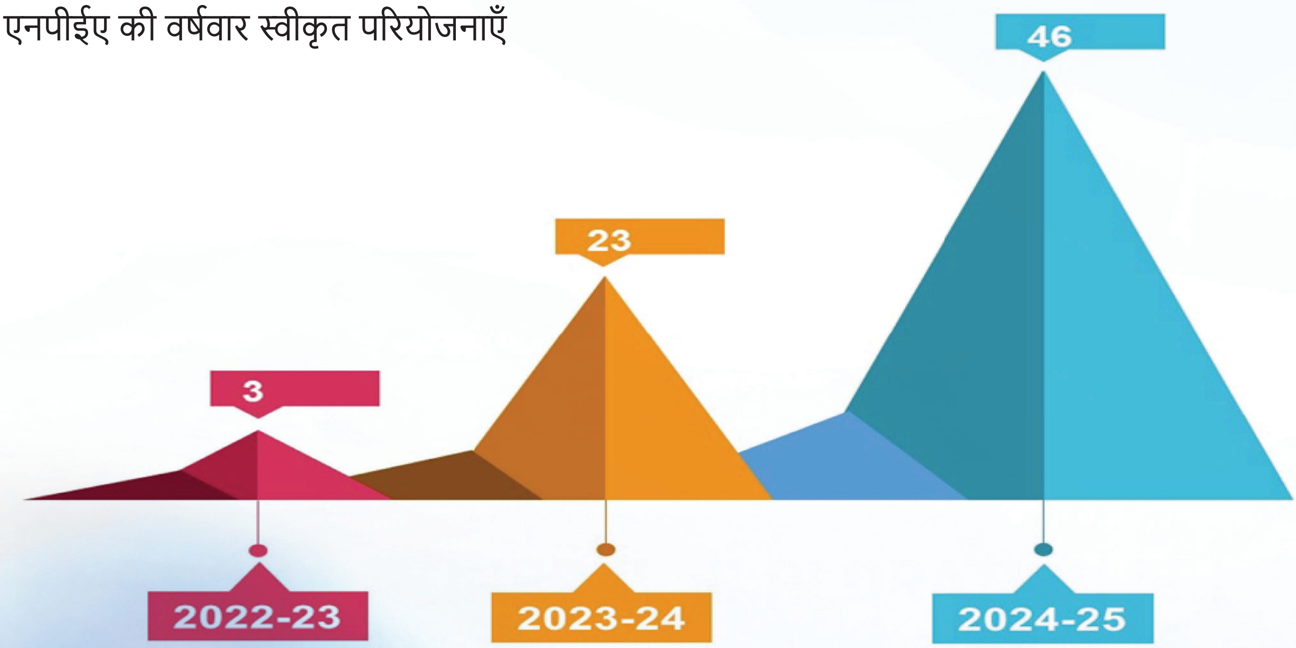

एनपीईए को स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि का रुझान दिख रहा है।

महत्वपूर्ण और थोक खनिज गवेषण परियोजनाएं (एजेंसीवार)

		वित्त वर्ष 2024-25			31 मार्च 2025 तक संचयी विवरण		
क्र. सं.	एजेंसी	परियोजनाओं की संख्या	महत्वपूर्ण खनिज	थोक खनिज	परियोजनाओं की संख्या	महत्वपूर्ण खनिज	थोक खनिज
क	एनईए*						
1	एमईसीएल	54	36	18	225	115	110
2	सीएमपीडीआईएल	2	1	1	29	1	28
3	केआईओसीएल	2	2	0	13	5	8
4	राज्य डीजीएम/ डीएमजी/राज्य पीएसयू आदि।	24	6	18	106	19	87
ख	एनपीईए**	46	27	19	72	45	27
		128	**72**	**56**	**445**	**185**	**260**

* *एनईए: अधिसूचित गवेषण एजेंसियां,*
** *एनपीईए: अधिसूचित निजी गवेषण एजेंसियां*

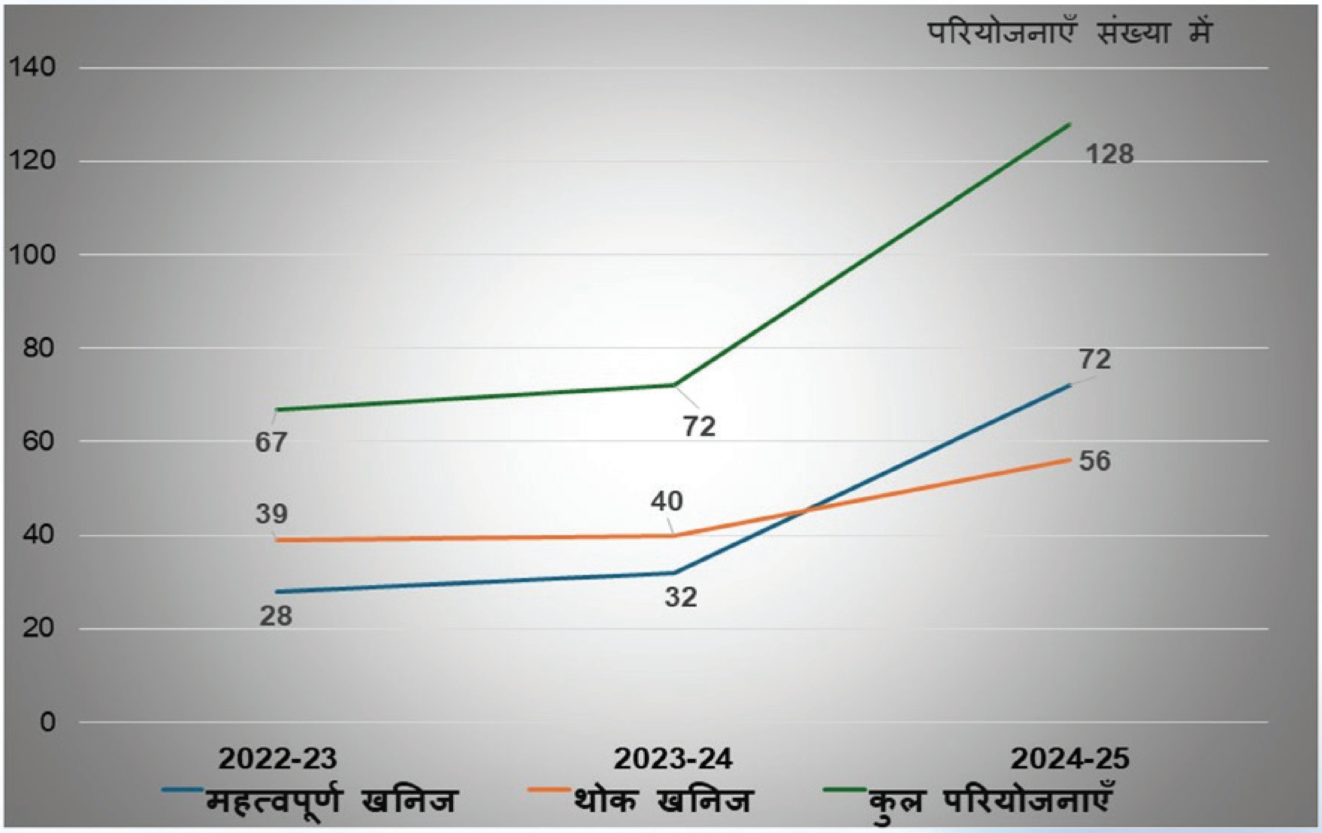

महत्वपूर्ण खनिजों के गवेषण परियोजनाओं की संख्या में पिछले तीन वित्त वर्षों में वृद्धि का रुझान दिख रहा है।

खनिज गवेषण परियोजनाओं का राज्य-वार वितरण

राज्य	खनिज गवेषण की स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत परियोजना लागत (₹ करोड़ में)	व्यय (₹ करोड़ में)
गुजरात	26	38.35	12.82
मध्य प्रदेश	19	32.66	11.57
महाराष्ट्र	15	22.0	8.62
झारखंड	9	22.77	9.00
कर्नाटक	7	14.12	3.29
ओडिशा	9	15.12	5.91
तमिलनाडु	7	30.86	10.55
असम	7	27.48	11.0
राजस्थान	7	42.0	15.64
छत्तीसगढ़	4	4.64	1.01
उत्तराखंड	5	17.82	4.30
तेलंगाना	3	3.34	1.16
मणिपुर	2	7.28	0.15
उत्तर प्रदेश	2	4.79	0.65
पश्चिम बंगाल	2	2.48	0.37
नागालैंड	2	19.33	7.73
आंध्र प्रदेश	1	2.06	0.62
अरुणाचल प्रदेश	1	5.63	0.80
कुल	**128**	**312.73**	**105.19**

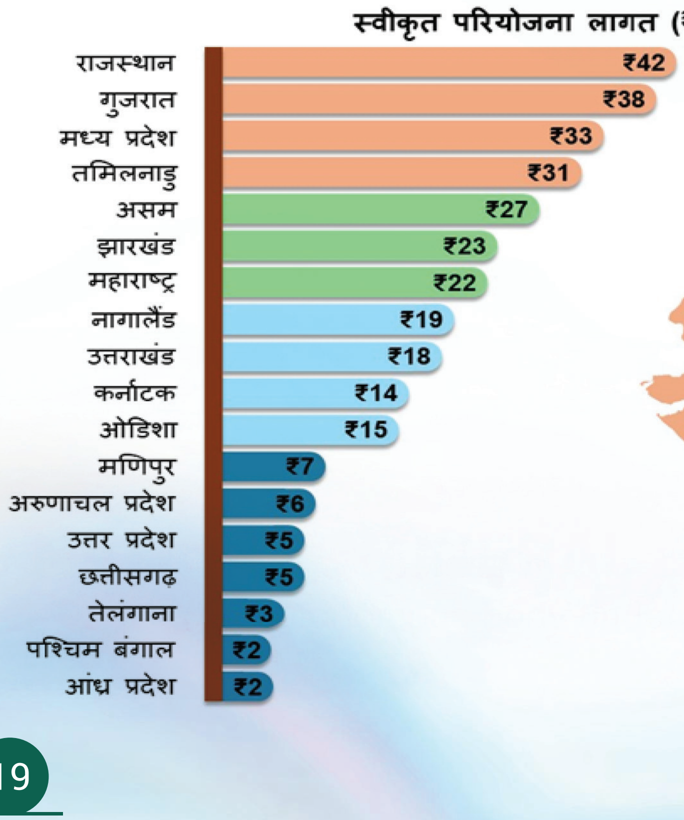

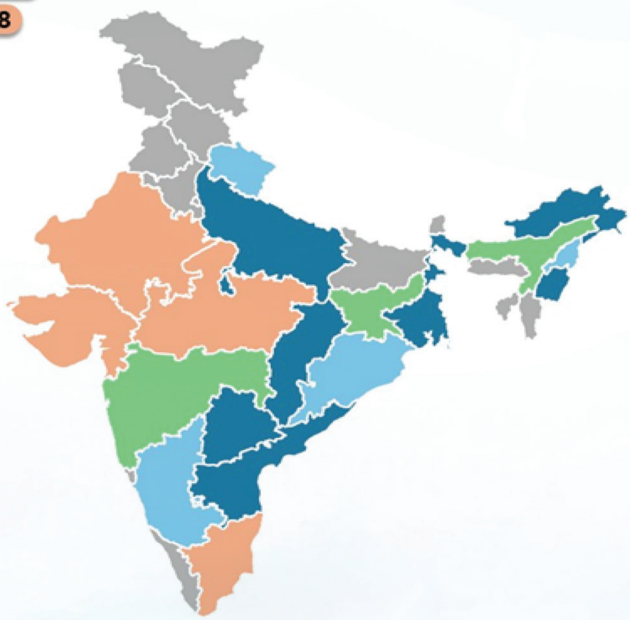

परियोजनाओं का खनिज-वार वितरण

खनिज	परियोजनाओं की संख्या
बॉक्साइट और संबद्ध खनिज	6
लोहा और संबद्ध खनिज	10
चूना पत्थर	28
स्वर्ण और संबद्ध खनिज	5
महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज	72
अन्य	7
कुल	**128**

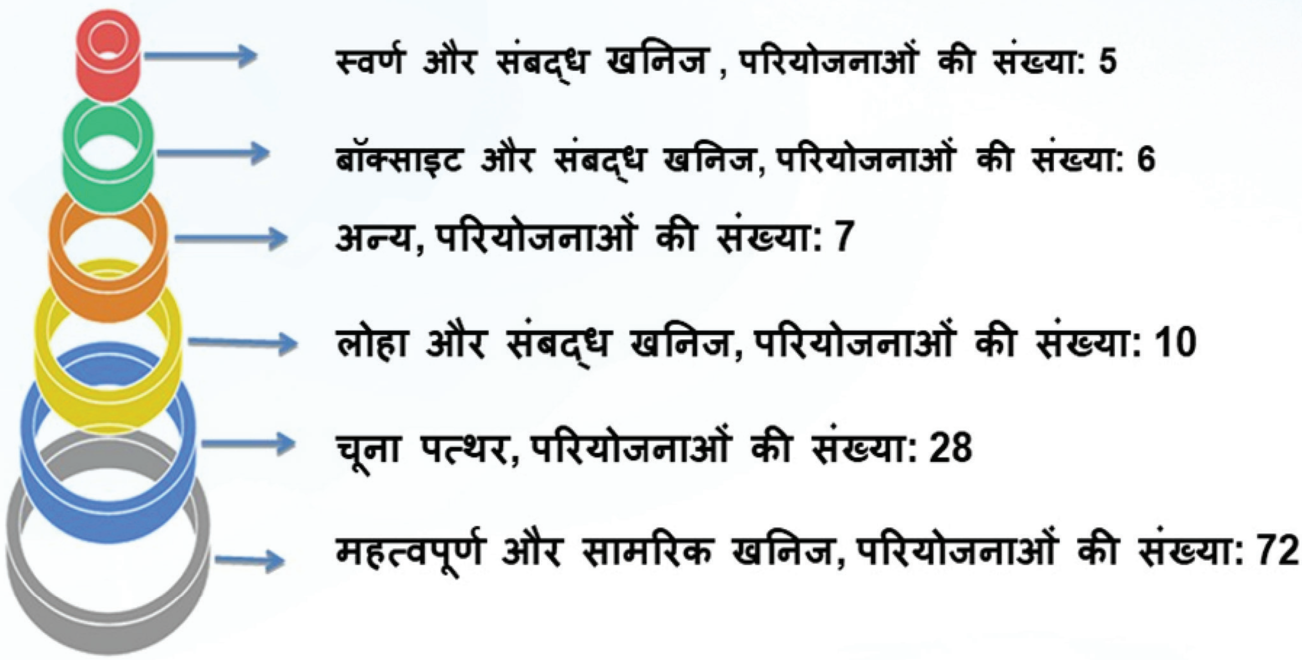

वित्तीय निष्पादन - एक झलक

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी) का वित्तीय निष्पादन निम्नानुसार है:

- हाल के वर्षों में, राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी) ने देश में खनिज गवेषण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, एनएमईटी प्राप्तियों के रूप में भारत की संचित निधि में ₹1001.42 करोड़ जमा किए गए। स्थापना के बाद से दिनांक 31.03.2025 तक, एनएमईटी प्राप्तियों से ₹6505.79 करोड़ एकत्र किए जा चुके हैं।
- एनएमईटी कोष में सर्वाधिक योगदान देने वाले शीर्ष पांच राज्य ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश थे।
- वर्ष के दौरान, एनएमईटी ने अपनी विभिन्न कार्यकलापों के माध्यम से खनिज गवेषण को बढ़ावा देने के लिए ₹398.95 करोड़ का उपयोग करके अपना सर्वश्रेष्ठ वित्तीय निष्पादन हासिल किया। एनएमईटी ने एनएमईटी सार्वजनिक निधि से ₹715.18 करोड़ की प्रतिपूर्ति राशि के साथ कोयला मंत्रालय की गवेषण और कोयला एवं लिग्नाइट की केंद्रीय क्षेत्र की योजना को भी वित्तपोषित किया।

पिछले 05 वर्षों के दौरान एनएमईटी द्वारा किया गया व्यय

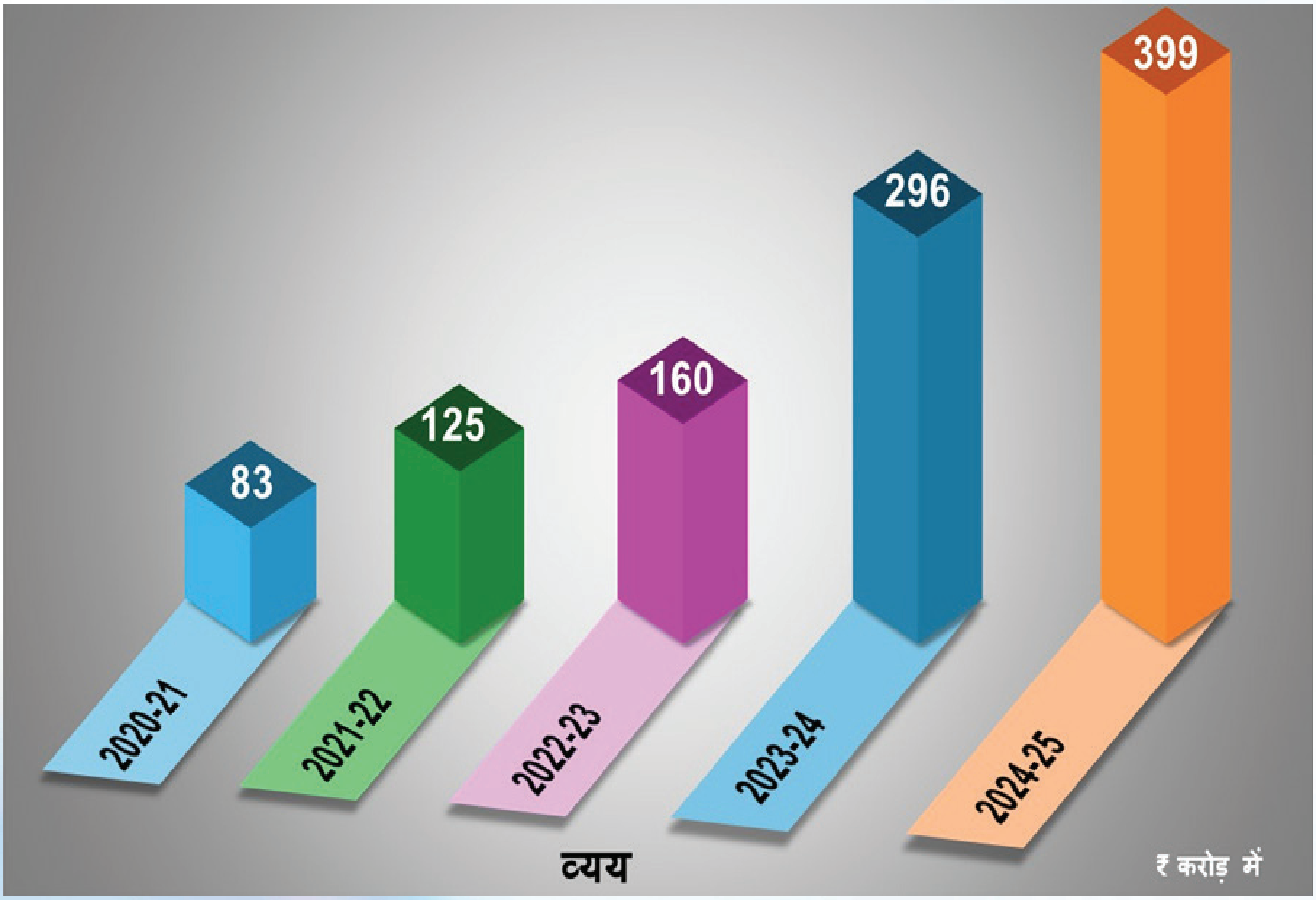

- एनएमईटी ने 5 राज्यों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) और सीएमपीडीआई को उनके तकनीकी अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए ₹201.98 करोड़ मंजूर किए। इसके अलावा, एनएमईटी ने खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी/रद्द किए गए ब्लॉकों के संबंध में लेनदेन सलाहकार शुल्क के भुगतान हेतु प्रोत्साहन के रूप में 11 राज्यों को ₹18.40 करोड़ जारी किए। ये उपाय खनिज गवेषण और विकास को बढ़ावा देने में एनएमईटी के प्रयासों को दर्शाते हैं, जिससे भारत के खनन क्षेत्र के विकास और आत्मनिर्भरता में योगदान मिलता है।

राज्यवार नीलामी प्रोत्साहन

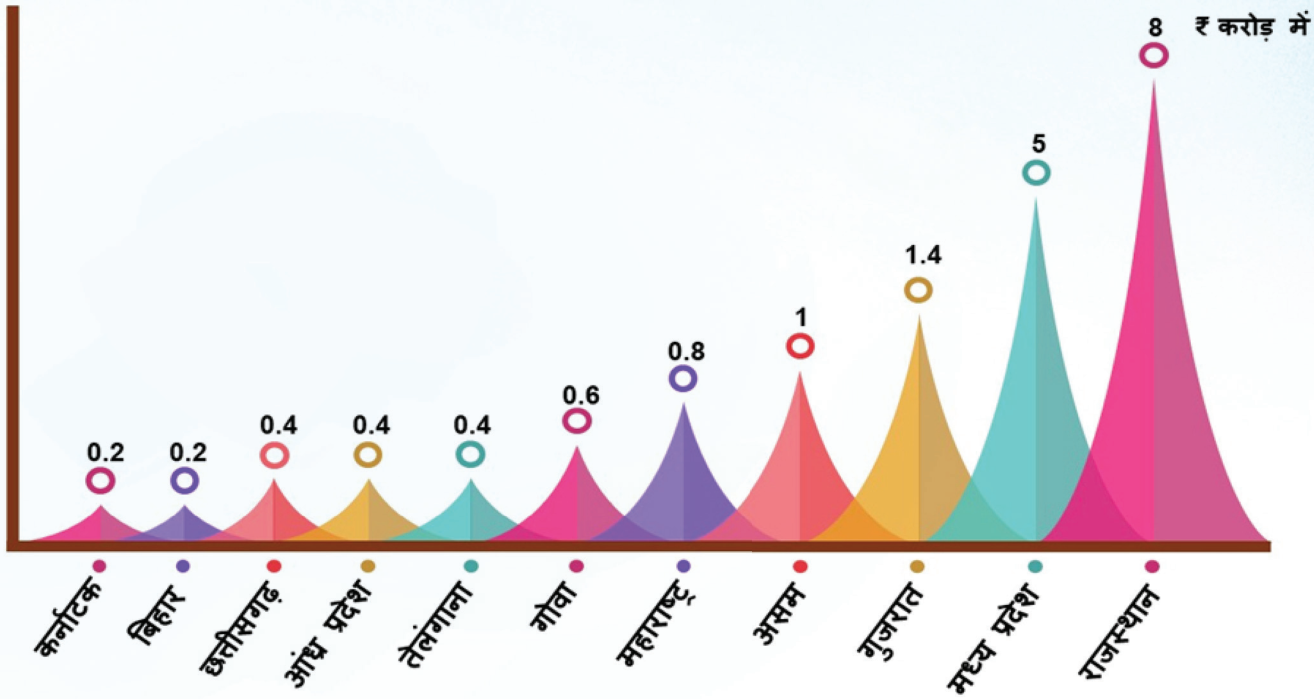

- एनएमईटी की स्वीकृत लेखा प्रक्रिया के अनुसार, भारत की संचित निधि से एनएमईटी प्राप्तियों को राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास के सार्वजनिक निधि खाते में स्थानांतरित करने के लिए बजट प्रावधान किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सीएफआई से एनएमईटी के सार्वजनिक निधि खाते में ₹1466 करोड़ स्थानांतरित किए गए। स्थापना के बाद से, सीएफआई से एनएमईटी के सार्वजनिक निधि खाते में ₹6204.32 करोड़ स्थानांतरित किए जा चुके हैं।

- महानिदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय खान, कोलकाता ने वर्ष 2023 में राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास के कामकाज पर एक विषयगत लेखापरीक्षा पैरा तैयार किया था। इस पैरा में एनएमईटी से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर 8 उप-पैरा शामिल थे। औचित्य और सहायक दस्तावेजों के साथ महानिदेशक लेखापरीक्षा, खान के कार्यालय को उत्तर प्रस्तुत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 06 उप-पैरा का निपटान किया गया और शेष 02 उप-पैरा का निपटान वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान किया गया।

अधिसूचित निजी गवेषण एजेंसियों (एनपीईए) को प्रोत्साहन - प्रमुख पहलें

- राष्ट्रीय खनिज गवेषण नीति (एनएमईपी), 2016 में देश के विशाल खनिज संसाधनों की खोज और दोहन के लिए खनिज गवेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की परिकल्पना की गई है।
- वर्ष 2021 में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) में संशोधनों ने केंद्र सरकार को निजी क्षेत्र की संस्थाओं को पूर्वेक्षण कार्य करने हेतु अधिसूचित करने का अधिकार दिया है। अधिसूचित निजी क्षेत्र की गवेषण एजेंसियों (एनपीईए) की भागीदारी ने देश में गवेषण कार्यकलापों को गति प्रदान की है और नीलामी के लिए उपयुक्त अधिक ब्लॉकों की पहचान करने में सक्षम बनाया है।
- संशोधनों के अनुरूप, एनएमईटी की शासी निकाय ने दिनांक 13.04.2022 को आयोजित अपनी चौथी बैठक में एनएमईटी के वित्तपोषण के माध्यम से खनिज गवेषण में अधिसूचित निजी गवेषण एजेंसियों (एनपीईए) की भागीदारी हेतु योजना को मंजूरी दी। एनपीईए द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में तीव्रता लाने के लिए इस योजना में समय-समय पर संशोधन किया गया है।
- इस योजना को दिसंबर 2023 में संशोधित किया गया ताकि एनपीईए महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अपने परियोजना प्रस्ताव सीधे एनएमईटी को प्रस्तुत कर सकें। इसके बाद जून 2024 में एनपीईए को एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची के भाग 'ख' में उल्लिखित खनिजों के अलावा, सभी प्रमुख खनिजों के लिए अपने परियोजना प्रस्ताव सीधे एनएमईटी को प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई। इस योजना को सितंबर 2024 में और संशोधित किया गया ताकि एनपीईए खनिज गवेषण के लिए विस्तृत परियोजना प्रस्ताव सीधे एनएमईटी को प्रस्तुत कर सकें। अब तक, एनएमईटी को 26 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत की जा चुकी हैं।
- परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, एनएमईटी द्वारा 16 राज्यों में 14 एनपीईए की 46 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जो वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में 100% वृद्धि है। एनपीईए को स्वीकृत 46 परियोजनाओं में से 27 महत्वपूर्ण खनिजों से संबंधित हैं।
- एनपीईए द्वारा किए गए क्षेत्रीय कार्यों के सत्यापन और उनके द्वारा प्रस्तुत बिलों के सत्यापन/प्रमाणन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की गई और दिनांक 19.11.2024 को प्रसारित की गई। एनपीईए के कार्यों/बिलों के सत्यापन/प्रमाणन की प्रक्रिया में एकरूपता लाने के लिए, जीएसआई और राज्य इकाइयों के उप महानिदेशकों के लिए दिनांक 11.12.2024 को एक कार्यशाला आयोजित की गई।
- **वन मंजूरी:** वन क्षेत्रों में गवेषण कार्यकलापों को सुविधाजनक बनाने के लिए, एनएमईटी संबंधित राज्य के वन विभाग के साथ वन मंजूरी प्रदान करने के मामले को उठाकर एनपीईए को सहायता प्रदान करता है।
- बिल जमा करने में सुविधा प्रदान करने के लिए दिनांक 25.02.2025 को एक ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की गई।
- **क्षेत्रीय खनिज लक्ष्यीकरण (आरएमटी) परियोजनाएं:** क्षेत्रीय खनिज लक्ष्यीकरण (आरएमटी) 500 वर्ग किलोमीटर से 2000 वर्ग किलोमीटर तक फैले विशाल भूगर्भीय भूभागों में खनिज गवेषण हेतु नए

उच्च-संभावित क्षेत्रों की पहचान करने की रणनीतिक प्रक्रियाओं में से एक है। आरएमटी का उद्देश्य डेटा एकीकरण के माध्यम से पहचानी गई विसंगतियों के आधार पर महत्वपूर्ण खनिजों, विशेष रूप से छिपे हुए और गहराई में स्थित भंडारों के नए खनिज संसाधनों का पता लगाना है।

- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने एनपीईए द्वारा गवेषण हेतु एनएमईटी को सात आरएमटी परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। ये आरएमटी परियोजना प्रस्ताव माननीय केंद्रीय खान मंत्री द्वारा 4 मार्च 2025 को कोलकाता में जीएसआई की 175वीं वर्षगांठ समारोह के दौरान एनपीईए को सौंपे गए।

एनपीईए को आवंटित आरएमटी ब्लॉकों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	ब्लॉक विवरण	माल	एनपीईए
1	टाका-चिमूर-शेगांव बुजुर्ग क्षेत्र में क्षेत्रीय खनिज लक्ष्यीकरण महाराष्ट्र के चंद्रपुर, वर्धा और नागपुर जिलों में वायु-भूभौतिकीय विसंगतियों का मूल्यांकन, रिमोट सेंसिंग डेटा की व्याख्या और आधार धातुओं, आरईई, आरएम और अन्य संबद्ध खनिजकरण के लिए आधारभूत भूविज्ञान डेटा के साथ एकीकरण। i. (ब्लॉक क्षेत्र: 2000 वर्ग किमी)	सल्फाइड खनिजीकरण, आरईई, दुर्लभ धातु और संबद्ध खनिजीकरण	मैसर्स माइनिंग टेक कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड (एमटीसीएस)
2	छत्तीसगढ़ के कांकेर, राजनांदगांव, नारायणपुर जिलों के कुछ हिस्सों में अमगांव गनीस कॉम्प्लेक्स, डोंगरगढ़ ग्रेनाइट्स, डोंगरगढ़ सुपरग्रुप, बिजली रायोलाइट, बैलाडिला समूह के प्रोटेरोज़ोइक चट्टानों में संभावित खनिजीकरण का लक्ष्यट करके क्षेत्रीय खनिज लक्ष्यीणकरण और मिश्रित खनिज प्रणाली का अध्ययन । (ब्लॉक क्षेत्र: 1560 वर्ग किमी)	आरईई/आरएम और लौह अयस्क	मैसर्स यूनाइटेड एक्सप्लोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3	ओडिशा के कालाहांडी जिले में आरईई और आधार धातु खनिजीकरण के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए भूविज्ञान डेटा एकीकरण और स्थानिक मॉडलिंग के माध्यम से मदनपुर -रामपुर- कनकटरू क्षेत्र में क्षेत्रीय खनिज लक्ष्यीकरण। (ब्लॉक क्षेत्र: 1087 वर्ग किमी)	आरईई/आरएम (एनबी)	मैसर्स नेचुरल रिसोर्सेज डिवीजन-टाटा स्टील लिमिटेड
4	मेघालय के पश्चिम खासी हिल और पूर्वी गारो हिल जिलों के एएमजीसी और संबद्ध ग्रेनाइट के हिस्सों में क्षेत्रीय खनिज लक्ष्यीकरण। (ब्लॉक क्षेत्र : 2175 वर्ग किमी)	आरईई/आरएम	मैसर्स माहेश्वरी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड (एमएमपीएल)
5	उत्तबर प्रदेश के ललितपुर और झांसी जिलों तथा मध्य प्रदेश के शिवपुरी और टीकमगढ़ जिलों के कुछ हिस्सों में क्षेत्रीय खनिज लक्ष्यीकरण। (ब्लॉक क्षेत्र: 1000 वर्ग किमी)	आरईई/आरएम	मैसर्स जियोवेल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

6	आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के कुछ हिस्सों में मैंगनीज, ग्रेफाइट, टंगस्टन, कोबाल्ट, आरईई और संबद्ध महत्वपूर्ण खनिजों के लिए क्षेत्रीय खनिज लक्ष्यीकरण। (ब्लॉक क्षेत्र: 1450 वर्ग किमी)	मैंगनीज, ग्रेफाइट, आरईई, कोबाल्ट और संबद्ध खनिजीकरण	मैसर्स क्रिटिकल मिनरल ट्रैकर्स (सीएमटी)
7	केरल के दक्षिणी ग्रैन्यूलाइट भूभाग, अचनकोविल शियर जोन के निकट वेल्लिकोड़-अझिकोड क्षेत्रों में ग्रेफाइट, नियोबियम, आरईई और संबद्ध खनिजीकरण के लिए क्षेत्रीय खनिज लक्ष्यीकरण। (ब्लॉक क्षेत्र: 999 वर्ग किमी)	ग्रेफाइट, आरईई- आरएम और संबद्ध खनिजीकरण	मैसर्स जियो मरीन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

मार्च 2022 से खान मंत्रालय ने गवेषण परियोजनाओं के लिए 32 निजी गवेषण एजेंसियों को अधिसूचित किया है। दिनांक 31.03.2025 तक, एनपीईए को ₹122.34 करोड़ की स्वीकृत लागत से कुल 72 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, एनएमईटी ने अधिसूचित निजी गवेषण एजेंसियों (एनपीईए) को ₹90.17 करोड़ की 46 परियोजनाएं स्वीकृत कीं। इन 46 परियोजनाओं में से 27 महत्वपूर्ण खनिजों की हैं।

माननीय केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी दिनांक 4 मार्च, 2025 को कोलकाता में जीएसआई की 175वीं वर्षगांठ समारोह के दौरान क्षेत्रीय खनिज लक्ष्यीकरण ब्लॉकों को अधिसूचित निजी गवेषण एजेंसियों (एनपीईए) को सौंपते हुए।

एनएमईटी की योजनाएं

गवेषण अनुज्ञप्ति योजना

- इस योजना का उद्देश्य नीलामी के माध्यम से प्रदान किए गए गवेषण अनुज्ञप्ति धारकों को गवेषण व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति प्रदान करना है, ताकि महत्वपूर्ण और गहराई में स्थित खनिजों के गवेषण में जोखिम को कम किया जा सके।
- गवेषण अनुज्ञप्ति (ईएल) धारकों को ईएल प्राप्त होने के 6 महीने के भीतर गवेषण व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। प्रस्ताव का मूल्यांकन तकनीकी एवं लागत समिति द्वारा किया जाएगा और एनएमईटी की कार्यकारी समिति प्रस्ताव को अनुमोदित करेगी।
- एसओसी के अनुसार ईएल धारकों को भूवैज्ञानिक मानचित्रण, भूभौतिकीय मानचित्रण, अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग, पेट्रोलॉजिकल/खनिज सज्जीकरण अध्ययन, परामर्श/सलाह शुल्क और लॉजिस्टिक्स जुटाने जैसे विभिन्न घटकों में प्रत्यक्ष लागत का 50% तक प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹20 करोड़ होगी।
- तथापि, यदि ईएल धारक ईएल के निष्पादन से तीन वर्ष के भीतर खनन पट्टा प्रदान करने के लिए किसी जी2 ब्लॉक (को) को नीलामी के लिए सौंप देता है, और यदि उक्त ब्लॉक की सफलतापूर्वक नीलामी हो जाती है, तो ईएल धारक द्वारा किए गए कुल गवेषण व्यय की प्रतिपूर्ति एनएमईटी के एसओसी के अनुसार प्रत्यक्ष लागत के 60% तक की जाएगी, जिसमें प्रत्येक मद पर अधिकतम सीमा 20% तक बढ़ाई जाएगी।
- ईएल धारक, इस योजना के अंतर्गत एनएमईटी द्वारा जारी की गई राशि, खनिजों के उत्पादन और प्रेषण के प्रारंभ होने तथा ईएल धारक द्वारा किए गए गवेषण के परिणामस्वरूप नीलाम किए गए किसी भी खनन पट्टा ब्लॉक से नीलामी प्रीमियम में हिस्सेदारी प्राप्त होने के दस वर्षों के भीतर (समान वार्षिक किश्तों में) राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी) को वापस करेगा। यदि ईएल धारक को नीलामी प्रीमियम में हिस्सेदारी के बदले खनन पट्टा धारकों से एकमुश्त भुगतान प्राप्त होता है, तो उसे एकमुश्त भुगतान प्राप्त होने के एक महीने के भीतर एनएमईटी को राशि वापस करनी होगी।
- ईएल धारक सभी भूवैज्ञानिक डेटा और रिपोर्ट को जीएसआई, आईबीएम और राज्य सरकारों के साथ साझा करेंगे, ताकि उन्हें एनजीडीआर पोर्टल पर अपलोड किया जा सके और भविष्य में संदर्भ के लिए जीएसआई की कोर लाइब्रेरी में ड्रिल कोर को अपलोड किया जा सके।

संयुक्त अनुज्ञप्ति योजना

- इस योजना का उद्देश्य, महत्वपूर्ण एवं गहराई में स्थिरत खनिजों के गवेषण के लिए नीलामी के माध्यम से प्रदान किए गए संयुक्त अनुज्ञप्ति (सीएल) धारकों के लिए गवेषण व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति प्रदान करना है।
- योजना को संशोधित किया गया है और प्रतिपूर्ति की राशि ₹ 4 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 8 करोड़ कर दी गई है।

- एसओसी के अनुसार, सीएल धारकों को भूवैज्ञानिक मानचित्रण, भूभौतिकीय मानचित्रण, अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग, पेट्रोलॉजिकल/खनिज सज्जीकरण अध्ययन, परामर्श/सलाह शुल्क और लॉजिस्टिक्स जुटाने जैसे विभिन्न घटकों में प्रत्यक्ष लागत का 50% तक प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹8 करोड़ होगी।
- यदि गवेषण के परिणामस्वरूप खनन पट्टा हस्ताक्षरित होता है और खनिजों का उत्पादन होता है, तो ऐसे खनन पट्टा धारक को खनिजों का उत्पादन और प्रेषण शुरू होने के चार वर्षों के भीतर एनएमईटी द्वारा जारी की गई राशि वापस करनी होगी।
- सीएल धारक सभी भूवैज्ञानिक डेटा, रिपोर्ट जीएसआई, आईबीएम और राज्य सरकारों के साथ साझा करेंगे ताकि उन्हें एनजीडीआर पोर्टल पर अपलोड किया जा सके और भविष्य में संदर्भ के लिए जीएसआई की कोर लाइब्रेरी में ड्रिल कोर अपलोड किए जा सकें।
- गवेषण लागत की प्रतिपूर्ति पर केवल संयुक्त अनुज्ञप्ति के पूर्वेक्षण चरण के लिए विचार किया जाएगा।

राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी) के माध्यम से सीधे अधिसूचित निजी गवेषण एजेंसियों (एनपीईए) की भागीदारी की योजना

- खनिज गवेषण कार्यकलापों में अधिसूचित निजी गवेषण एजेंसियों (एनपीईए) को शामिल करने की योजना 10 मई, 2022 को शुरू की गई थी। इस योजना में महत्वपूर्ण और थोक खनिजों की गवेषण परियोजनाओं को राज्य सरकारों के माध्यम से वित्त पोषण के लिए एनएमईटी को प्रस्तुत करने की परिकल्पना की गई थी। इसके अलावा, इस योजना के तहत एनपीईए को शुरू में सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने और उसके बाद तीन महीने के भीतर एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी।
- महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के गवेषण में तीव्रता लाने के लिए, इस योजना को 12 दिसंबर, 2023 को संशोधित किया गया था, जो एनपीईए को सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के गवेषण प्रस्ताव सीधे एनएमईटी को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, जिसके बाद तीन महीने के भीतर एक विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है।
- खनिज गवेषण कार्यकलापों की गति बढ़ाने के लिए, 27 जून, 2024 को इस योजना में और संशोधन किया गया, जिससे एनपीईए को थोक खनिजों के लिए भी परियोजना प्रस्ताव सीधे एनएमईटी को वित्तपोषण के लिए प्रस्तुत करने की अनुमति मिल गई। 9 सितंबर 2024 को इस योजना में एक और संशोधन के माध्यम से, एनपीईए अब सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बजाय एनएमईटी को विचारार्थ एक विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। तथापि, राज्य सरकार के माध्यम से सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रावधान भी बना हुआ है।

वामपंथी प्रभावितों (एलडब्ल्यूई) द्वारा सर्वाधिक प्रभावित जिलों में प्रभार अनुसूची (एसओसी) की प्रयोज्यता

- छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा आदि राज्यों के कई जिले वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई)

से प्रभावित हैं। एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों में कानून-व्यवस्था की स्थिति के कारण गवेषण कार्यकलापों के सुचारू क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

- गृह मंत्रालय (एमएचए) ने एफ.सं. 11- 18015/68/2014-एलडब्ल्यूई-III दिनांक 11 मार्च, 2024 के तहत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित कुछ जिलों को वर्गीकृत किया है।
- गवेषण कार्य के क्षेत्र घटक के लिए सामान्य एसओसी दरों का 1.25 गुना प्रदान किया जाएगा। वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	राज्य	जिलों की संख्या	जिले
1	छत्तीसगढ़	07	बस्तर, बीजापुर, सुकमा, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, मोहल्ला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी
2	झारखंड	01	पश्चिमी सिंहभूम
3	मध्य प्रदेश	01	बालाघाट
4	महाराष्ट्र	01	गडचिरोली
5	ओडिशा	02	कालाहांडी, कंधमाल
	कुल	**12**	

एनएमईटी द्वारा एसएमईटी में वार्षिक संग्रह का 10% का समान अनुदान प्रदान करने की योजना

- गौण खनिजों के गवेषण, अनुसंधान और नवाचार कार्यकलापों को और अधिक गति देने तथा राज्य सरकारों को गौण खनिजों के लिए ऊर्जा एवं ऊर्जा प्रौद्योगिकी (एसएमईटी) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एनएमईटी के शासी निकाय ने 12 अगस्त 2024 को आयोजित अपनी छठी बैठक में राज्य गौण खनिजों के लिए ऊर्जा एवं ऊर्जा प्रौद्योगिकी (एसएमईटी) स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को समान अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है। एनएमईटी के माध्यम से वर्तमान और अगले दो वित्त वर्षों में राज्य सरकारों द्वारा एसएमईटी में वार्षिक संग्रह के 10% की सीमा तक सरकार को अनुदान दिया जाएगा।
- तेलंगाना, राजस्थान और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारों ने पहले ही अपने-अपने राज्यों में राज्य खनिज खोज न्यास (एसएमईटी) की स्थापना कर ली है।

वर्ष 2024-25 में प्रमुख उपलब्धियां

- **बजट उपयोग:** एनएमईटी ने गवेषण एवं संबंधित कार्यकलापों पर ₹398.95 करोड़ का रिकॉर्ड व्यय किया। यह वित्त वर्ष 2023-24 में किए गए व्यय की तुलना में 35% अधिक है।
- **क्षमता निर्माण पहल:** एनएमईटी ने गवेषण एजेंसियों की क्षमता निर्माण हेतु 01 राष्ट्रीय स्तरीय कार्यशाला, 10 राज्य स्तरीय कार्यशालाएं और 2 ऑनलाइन कार्यशालाएं आयोजित कीं। इन कार्यशालाओं ने एनएमईटी की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाई, खनिज क्षेत्र के हितधारकों के बीच सहयोग को मज़बूत किया, खनिज क्षेत्र में गवेषण एजेंसियों को नए अवसर प्रदान किए, राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया और राज्य सरकारों द्वारा एनपीईए को गवेषण कार्यकलापों में शामिल किया।
- **नीलाम किए गए ब्लॉक:** एनएमईटी वित्तपोषण द्वारा गवेषित 17 ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई।
- **स्वीकृत परियोजनाएं:** वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 162 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 84% अधिक है, जिसमें 88 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं।
- **एनपीईए को स्वीकृत परियोजनाएं:** वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, ₹90.17 करोड़ की राशि की 46 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान एनपीईए को ₹24.74 करोड़ की राशि की 23 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं।
- **राज्यों को जारी वित्तीय प्रोत्साहन:** 92 खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी के लिए राज्य सरकारों को ₹18.40 करोड़ की राशि जारी की गई। राज्यों को जारी प्रोत्साहन राशि का उपयोग लेनदेन सलाहकारों को शुल्क के भुगतान, परियोजना प्रस्ताव तैयार करने, गवेषण संबंधी मशीनरी और उपकरणों की खरीद, उपकरणों की एएमसी/सीएएमसी, क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अनुभव भ्रमण और राज्यों में गवेषण कार्यकलापों को बढ़ावा देने हेतु किसी भी अन्य कार्यकलाप के लिए किया जा सकता है।

एनएमईटी द्वारा वित्त पोषित कार्यशालाएं - कुछ झलकियां

दिनांक 17 अगस्त, 2024 को गुजरात में एनएमईटी द्वारा वित्त पोषित कार्यशाला आयोजित की गई

दिनांक 06 जुलाई, 2024 को सिक्किम में एनएमईटी द्वारा वित्त पोषित कार्यशाला आयोजित की गई

21 मार्च, 2025 को उत्तर प्रदेश में एनएमईटी द्वारा वित्त पोषित कार्यशाला आयोजित की गई

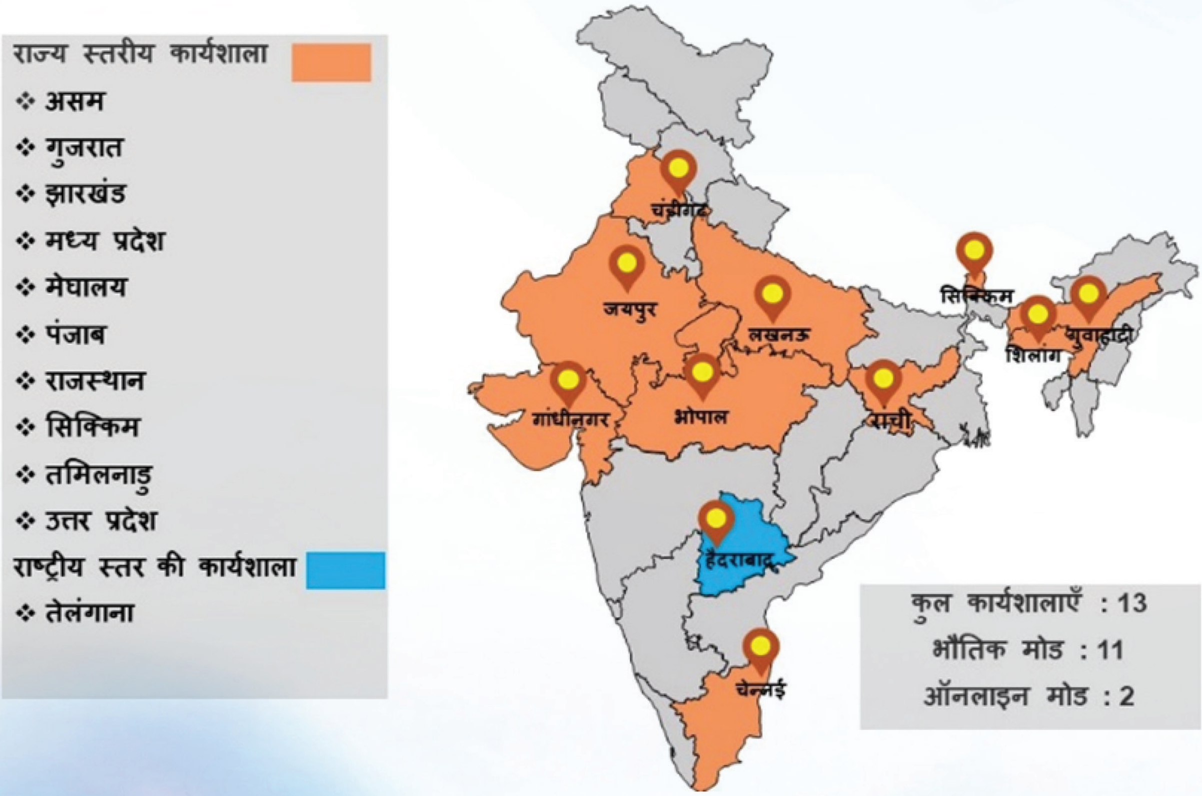

एनएमईटी द्वारा वित्त पोषित कार्यशालाओं वाले राज्य

एनएमईटी निधि से खरीदे गए प्रमुख उपकरण

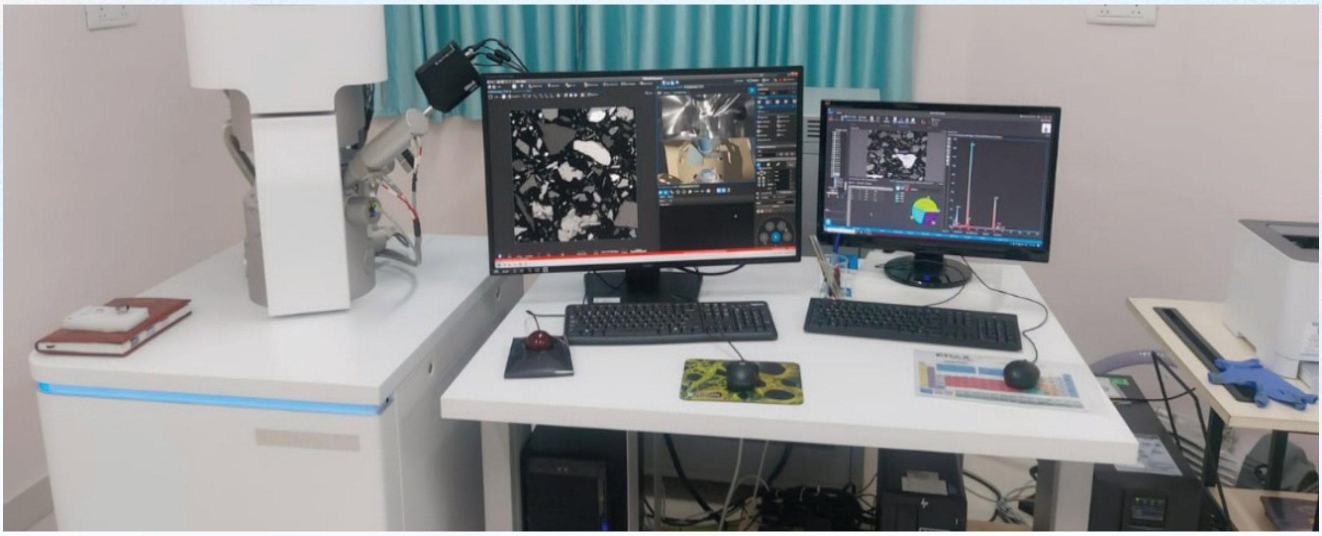

ऊर्जा विसारक स्पेक्ट्रोमीटर के साथ फील्ड एमिशन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप (ईडीएस के साथ एफई-एसईएम) - 2024 में भारतीय खान ब्यूरो द्वारा खरीदा गया और एमएमपीएल, नागपुर में स्थापित किया गया

अनुप्रयोग: यह उपकरण आरईई, पीजीई और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के लक्षण-निर्धारण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह विभिन्न अयस्कों और प्रसंस्कृत उत्पादों में उप-माइक्रोन आकार तक के खनिज कणों के तात्विक बिंदु विश्लेषण सहित विभिन्न खनिजों के नामकरण के लिए उपयोगी है।

सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, सर्च मैच सॉफ्टवेयर के साथ डिजिटल एक्स-रे डिफ्रैक्टोमीटर (एक्सआरडी) - 2024 में भारतीय खान ब्यूरो द्वारा खरीदा गया और एमएमपीएल, नागपुर में स्थापित किया गया

अनुप्रयोग: यह विभिन्न अयस्कों में मौजूद विभिन्न खनिज चरणों की सटीक और त्वरित पहचान के लिए उपयोगी है।

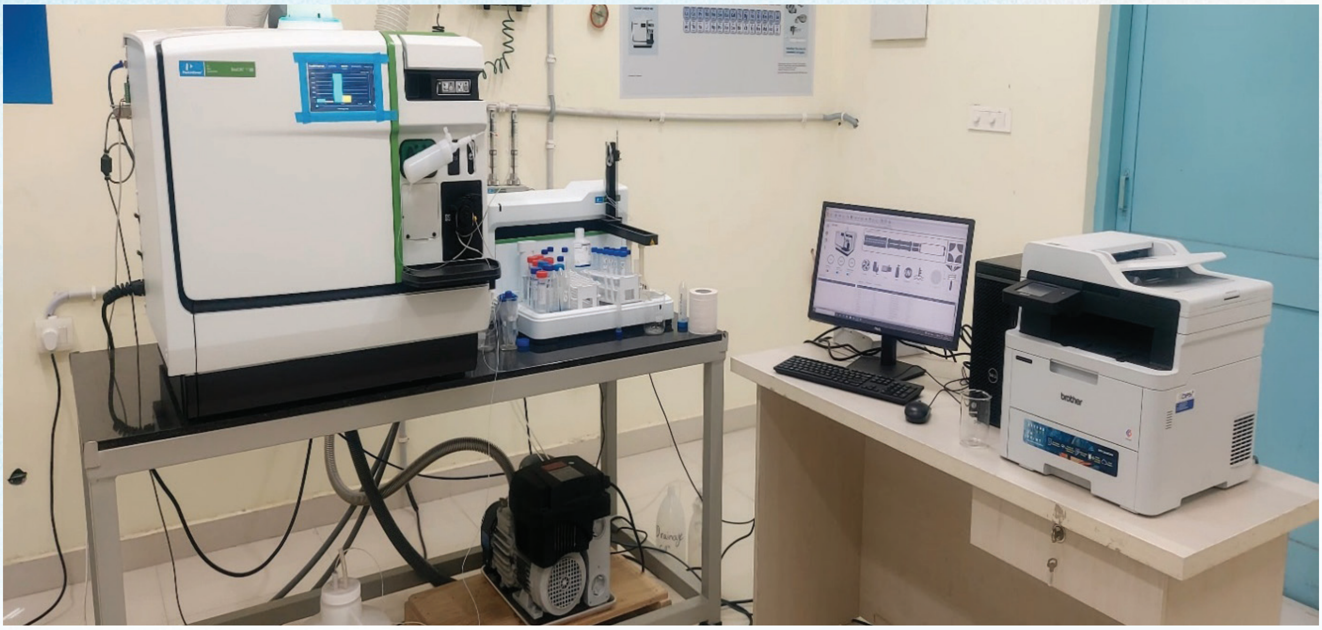

प्रेरणिक रूप से युग्मित प्लाज्मा द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर (आईसीपी-एमएस) - फरवरी 2025 में भारतीय खान ब्यूरो द्वारा खरीदा गया और एमएमपीएल, नागपुर में स्थापित किया गया

अनुप्रयोग: संपूर्ण अयस्क/चट्टान में पीपीएम और पीपीबी स्तरों में एकाधिक तत्वों के एक साथ विश्लेषण के लिए उपयोगी। महत्वपूर्ण तत्वों, आरईई और पीजीई के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण उपकरण।

शुष्क चुंबकीय विभाजक - 2024 में भारतीय खान ब्यूरो द्वारा खरीदा गया और एमएमपीएल, नागपुर में स्थापित किया गया

अनुप्रयोग: खुरदरे आकार के चुंबकीय खनिजों के शुष्क पृथक्करण के लिए उपयोगी।

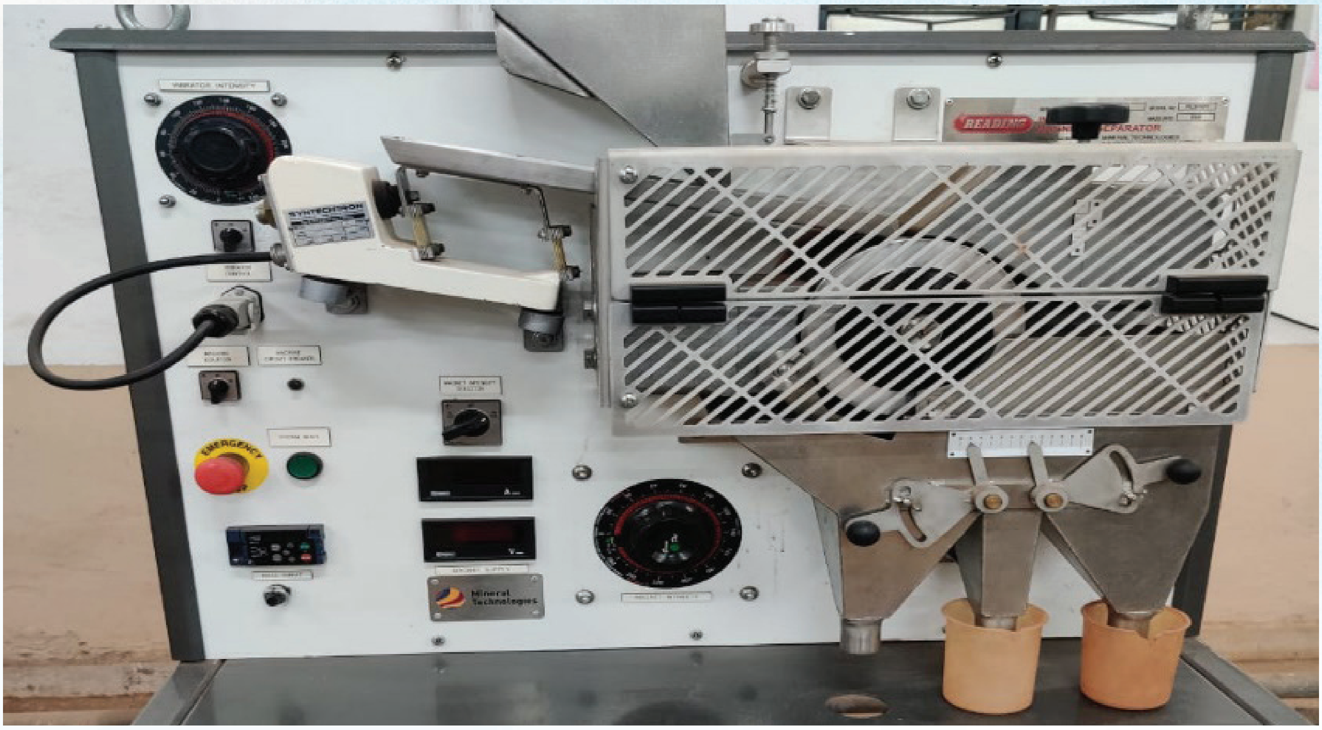

प्रेरित रोल चुंबकीय विभाजक - मई 2024 में भारतीय खान ब्यूरो द्वारा खरीदा गया और आरएमपीएल, बेंगलुरु में स्थापित किया गया

अनुप्रयोग: विभिन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता पर चुंबकीय खनिजों के पूर्व-सांद्रण के लिए उपयोगी।

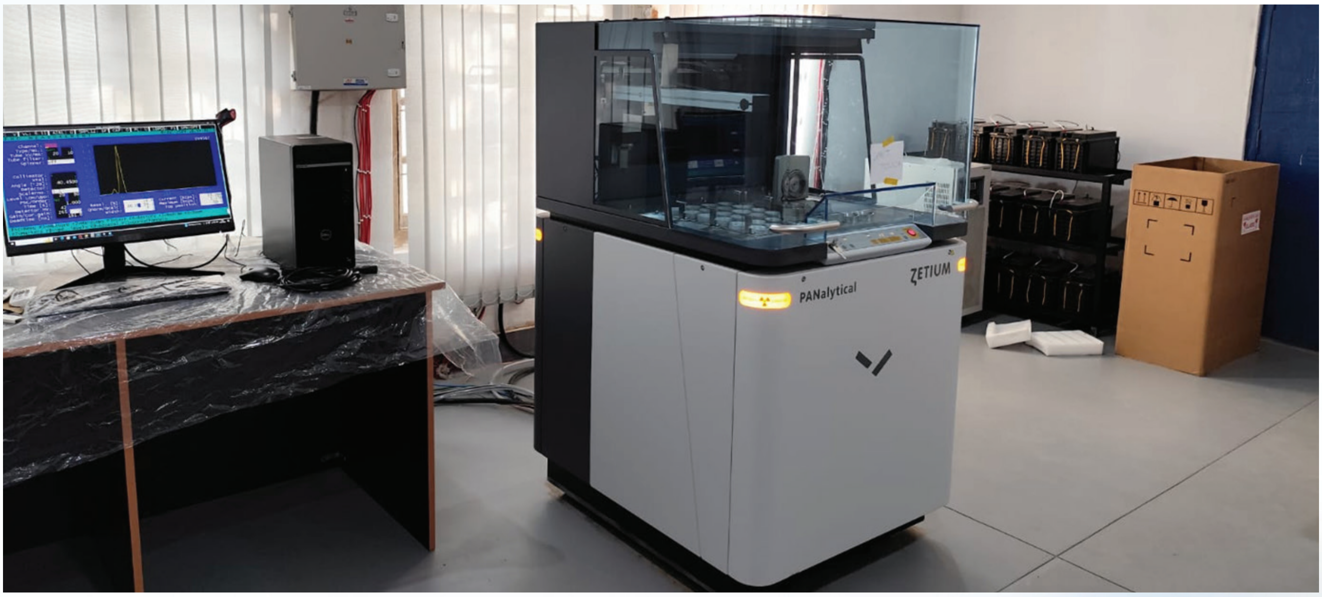

तरंगदैर्ध्य फैलाव एक्स-रे प्रतिदीप्ति मॉडल संख्या ज़ेटियम 2.4 किलोवाट - डीजीएम, नागालैंड द्वारा खरीदा गया, दिनांक 11.07.2024 को डीजीएम नागालैंड में चालू किया गया।

अनुप्रयोग: यह एक प्रकार का एक्स-रे प्रतिदीप्ति (एक्सआरएफ) तकनीक है जिसका उपयोग तत्व विश्लेषण के लिए किया जाता है।

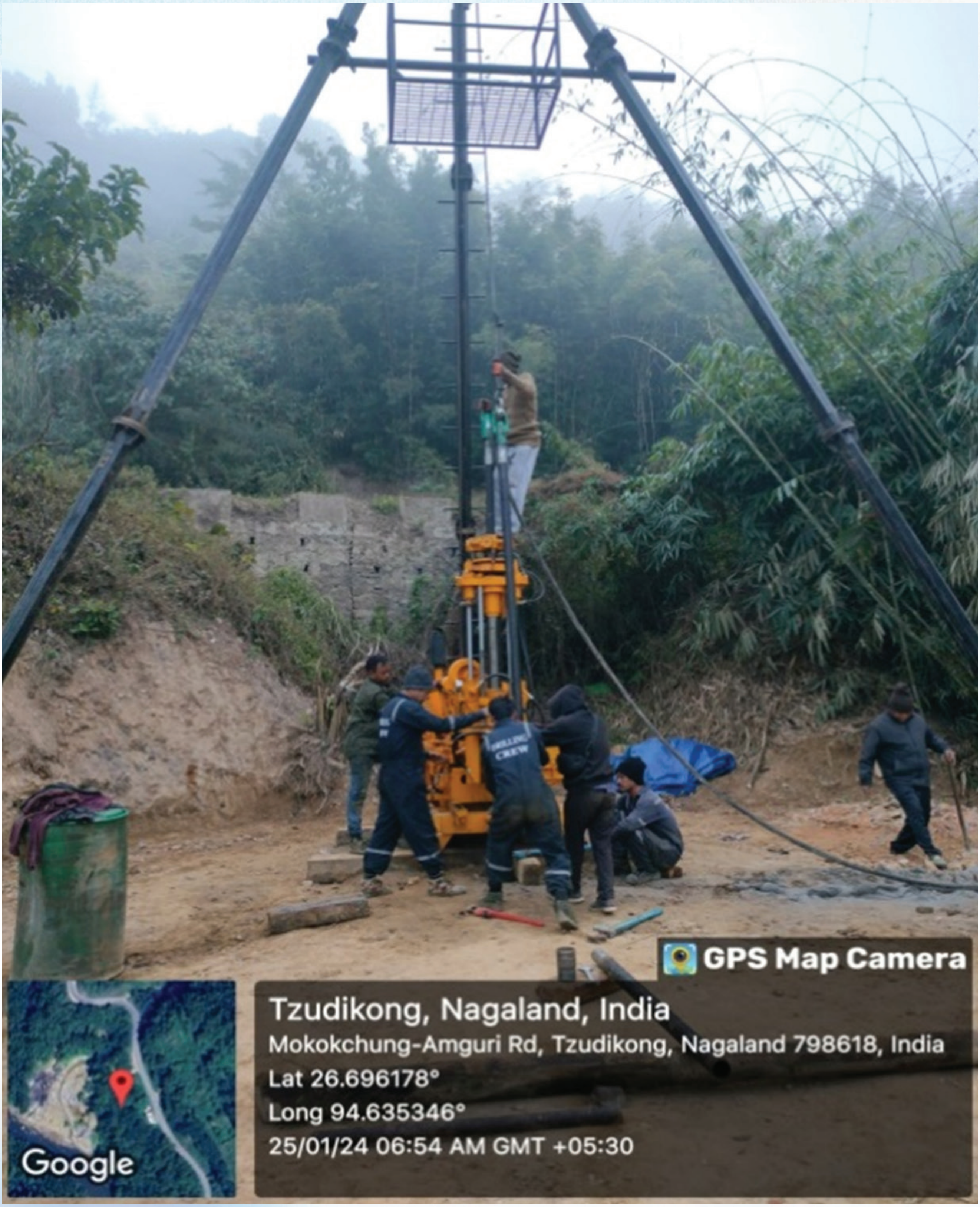

एनएमईटी वित्त पोषण के माध्यम से डीजीएम, नागालैंड द्वारा आरडी-60 स्किजड माउंट ड्रिलिंग रिग खरीदा गया

एनएमईटी समर्थित खनिज गवेषण पहलों के मुख्य दृश्य

लद्दाख के मेरक में क्षेत्रीय भूविज्ञानी द्वारा झील तलछट का संग्रह।

एनएमईटी द्वारा वित्त पोषि त खनिज गवेषण परियोजना: केंद्र शासित प्रदेश एनएमईटी द्वारा वित्तजपोषित खनिज गवेषण परियोजना लद्दाख के लेह जिले के मेरक ब्लॉक में लिथियम और पोटेशियम के लिए सर्वेक्षण। एजेंसी: मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम, मिनीरत्न-। सीपीएसई)

एनएमईटी द्वारा वित्त पोषित खनिज गवेषण परियोजना: नीलम खान क्षेत्र (5.00 वर्ग किमी) और उसके आसपास के रत्नों के लिए प्रारंभिक गवेषण (जी3 चरण), जिला- किश्तवाड़, जम्मू और कश्मीर। एजेंसी: मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम, मिनीरत्न-। सीपीएसई)

सुंग घाटी से रेगोलिथ नमूना संग्रह, सुंग घाटी, पूर्वी खासी हिल्स, मेघालय में रेगोलिथ होस्टेड आयन अधिशोषण निक्षेप का अल्ट्रामैफिक क्षारीय कार्बोनेटाइट परिसर।

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के कोटरी लिनियामेंट क्षेत्र के ज्वालामुखी तलछटी अनुक्रम से निकलने वाली एक सहायक नदी से प्राप्त स्वर्ण के टुकड़े (द्वितीयक)।

प्राणहिता नदी, देवलमारी क्षेत्र, गढ़चिरौली ज़िला महाराष्ट्र सीमा से लगे हुए, तेलंगाना राज्य के तल से चूना पत्थर के भंडार। [टोपोशीट संख्या- 56एम/15]

सत्यमेव जयते

MINISTRY OF MINES
GOVERNMENT OF INDIA